तृतीय माला, खण्ड १०—अंक १७

गुरुवार, २९ नवम्बर, १९६२

८ अग्रहायण, १८८४ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(तीसरा सत्र)

3rd Lok Sabha

P-75
11
15-1-63

(खण्ड १० में अंक ११ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय सूची

	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१६३१
राज्य सभा से सन्देश	१६३२
हिन्दी साहित्य सम्मेलन (संशोधन) विधेयक	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया .	१६३२
भांडागार निगम विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	१६३२—६५
श्री अ० म० थामस . .	१६३२—३५
श्री रंगा .	१६३६
श्री सरजू पांडेय	१६३६—३८
श्री श्याम लाल सर्राफ	१६३९
श्री अं० चं० गुह	१६३९
श्री काशी राम गुप्त	१६४०—४२
श्री त्यागी	१६४२—४३
श्री लहरी सिंह	१६४३—४६
श्री कृ० चं० शर्मा	१६४६
श्री द्वा० ना० तिवारी	१६४६
श्री स० मो० बनर्जी	१६४७
श्री विश्राम प्रसाद . . .	१६४७—४९
श्री मानसिंह पृ० पटेल .	१६३९—५०
श्री कृ० ल० मोरे . . .	१६५०
श्री गौरी शंकर कक्कड़	१६५०
श्रीमती लक्ष्मी बाई	१६५०—५२
श्री दे० शि० पाटिल	१६५३—५४
श्री रा० गि० दुबे	१६५४—५५
श्री यशपाल सिंह	१६५५—५६
श्री राम सेवक यादव	१६५६—५८

[शेष पृष्ठ ३ पर देखिये

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

२९ नवम्बर, १९६२

गुरुवार,

८ अग्रहायण, १८८४ (शक)

लोक-सभा बारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

सभा पटल पर रखे गये पत्र

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के लेखे का वार्षिक विवरण

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : मैं वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के नियमों तथा विनियमों, विधियों और उप-नियमों के नियम ७९ (४) के अन्तर्गत उक्त परिषद् के वर्ष १९६०-६१ के लेखे के वार्षिक विवरण की प्रति उस पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के साथ सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-६२१/६२]

अशोक होटल्स लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उस पर सरकार की समीक्षा

†**निर्माण, आवास और पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९-क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये अशोक होटल्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा-परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—६२२/६२।]

†मूल अंग्रेजी में

राज्य सभा से सन्देश

†**सचिव** : मुझे सभा को बताना है कि मुझे राज्य सभा के सचिव से निम्नलिखित सन्देश मिले हैं :—

(१) भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक, १९६२ के बारे में राज्य सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(२) इस सन्देश के साथ उन्होंने राज्य सभा द्वारा २७ नवम्बर, १९६२ की अपनी बैठक में पारित किये गये हिन्दी साहित्य सम्मेलन (संशोधन) विधेयक, १९६२ की प्रति संलग्न की है।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन (संशोधन) विधेयक

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विधेयक सभा पटल पर रखा गया

†**सचिव** : श्रीमन्, मैं हिन्दी साहित्य सम्मेलन (संशोधन) विधेयक, १९६२, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखता हूं।

भाण्डागार निगम विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री अ० म० थामस द्वारा पेश किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर अब अग्रेतर चर्चा होगी :—

"कि कृषि उत्पाद तथा कुछ अन्य वस्तुओं के भांडागार में रखने के प्रयोजन के लिये कुछ नियमों के निगमन तथा विनियमन और तत्संबंधी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: अध्यक्ष महोदय, कल मैं इस विधेयक को प्रस्तुत करने के बारे में तथा राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम अधिनियम की आवश्यकता के बारे में बता रहा था। प्रस्तुत विधेयक में कृषि उत्पाद (विकास और भांडागार) निगम अधिनियम के उपबन्धों का समावेश किया गया है क्योंकि अब केन्द्रीय भांडागार निगम तथा राष्ट्रीय सहकारी वकास और भांडागार बोर्ड अलग अलग हो गये हैं। यह एक विस्तृत विधेयक है और इसका लाभ उठाया गया है कि वर्तमान अधिनियम में जो कमियां हैं उनको ठीक कर दिया जाय।

परिवर्तन दो प्रकार के हैं। जैसाकि मैं बता चुका हू पहला परिवर्तन तो वही है, केन्द्रीय गोदाम निगम का राष्ट्रीय सहकारी विकास और भांडागार बोर्ड अलग अलग हो गये हैं। दूसरे परिवर्तन वह है जो हमने पांच वर्ष में केन्द्रीय भांडागार निगम और राज्य भांडागार निगम से प्राप्त किये हैं।

जो परिवर्तन किये गये हैं उनके बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा। एक परिवर्तन यह है कि खंड ४(२) के अधीन केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय सहकारी विकास और भांडागार बोर्ड के स्थान

---

†मूल अंग्रेजी में

पर केन्द्रीय गोदाम निगम के ४० प्रतिशत अंश को मालिक होगी । दूसरा परिवर्तन यह है कि खंड ७(१) के अधीन संचालक मंडल के पन्द्रह सदस्यों के स्थान पर १२ सदस्य होंगे। मैं समझता हूं कि दोनों परिवर्तन असुषांगिक हैं।

खंड २(ङ) के अधीन यह बताया गया है कि गोदामों में किन वस्तुओं को रखा जा सकता है। वर्तमान अधिनियम में केन्द्रीय भांडागार निगम तथा राज्य भांडागार निगम कृषि उत्पाद की कुछ वस्तुएं, कृषि औजार तथा उर्वरकों को ही भांडार के लिये स्वीकार कर सकता था। वर्तमान विधेयक में शब्द 'अधिसूचित वस्तुएं' बढ़ाया गया है। इससे यह उद्देश्य है कि उन वस्तुओं को अधिसूचित कर दिया जाये जिनको भांडागारों में रखना जरूरी हो। हमने एक यह महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है ।

दूसरा परिवर्तन यह है कि भाण्डागार कोष का प्रशासन केन्द्रीय भाण्डागार निगम को सौंपा जाये। पहले यह राष्ट्रीय सहकारी तथा भाण्डागार निगम के आधीन था । वर्तमान अधिनियम में यह कोष राष्ट्रीय विकास तथा भाण्डागार बोर्ड द्वारा रखा जाता था। यही कुछ परिर्वतन किए गए हैं ।

यह आवश्यक है कि इस विधेयक की पुरस्थापना के समय केन्द्र तथा राज्यों के भाण्डागार निगमों के कार्यों का पुनरीक्षण किया जाये। सभा जानना चाहेगी कि १९५६ में इस अधिनियम को पारित करने के समय हमने जो आशायें प्रकट की थी क्या वह सभी पूरी हो गई हैं। इसीलिये मैं सभा को बताना चाहता हूं कि केन्द्रीय भाण्डागार निगम ने कितना काम किया है और जिन उद्देश्यों से इनकी स्थापना की गई थी वह कितने पूरे हुए हैं ।

सभा जानती है कि योजना का उद्देश्य यह था कि देश के कृषि उत्पादों का वैज्ञानिक भांडार किस प्रकार किया जाये और उत्पादक अपनी वस्तुओं को तब तक अच्छी दशा में रख जब तक उन्हें बाजार में अच्छे मूल्य न मिल जाये। इस बीच भाण्डागार द्वारा दी गई रसीद पर वह विभिन्न बैंकों से ऋण भी ले सकते हैं। गत पांच वर्षों से निगम काम कर रहा है। केन्द्रीय भाण्डागार निगम ने ६५ केन्द्रों में भाण्डागार बनाय हैं जब कि राज्य भाण्डागार निगम ने ४०७ केन्द्रों में भाण्डागार बनाये हैं। निगम इस समय ६ लाख टन का भांडार करने में समर्थ है। परन्तु मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि यह क्षमता हमारी अपनी ही नहीं है। केन्द्र तथा राज्य सरकार की बहुत थोड़ी प्रतिशतता हैं । व्यापार केन्द्रों को चुनने में इसका ध्यान रखा गया है कि केन्द्र तथा राज्य भाण्डागार निगम आपस में मिल जुल कर काम करें तथा एक दूसरे के प्रति द्वन्दी न बन जायें। केन्द्र भाण्डागार निगम ने अपने कार्य कलाप देश के बड़ बड़े शहरों तक सीमित रखे हैं और राज्य-व्यापार निगम ने जिला स्तर पर अपना काम शुरू किया था। ये अधिकांश केन्द्र किराये के भवनों में स्थित हैं। ६ लाख टन में से लगभग ३२,००० टन केन्द्र निगम के अपने भवन में हैं तथा ३६,००० टन राज्य निगमों के अपने भवनों में हैं। शेष किराये के भाण्डागारो में हैं।

इसका कारण यह है कि हम कोई भी स्थान चुनकर भाण्डागार बनाना शुरु नहीं कर सकते हैं। हमें उस केन्द्र की बाजार क्षमता का ध्यान रखना पड़ता है। यद्यपि यह निगम विकास के लिए है परन्तु फिर भी वाणिज्यिक हैं और इसीलिए उनको अपने संतुलन पत्रों का ध्यान रखना पड़ता है। भाण्डागार बनाने से पहले उनको इसका ध्यान रखना पड़ता है कि उनको उससे लाभ होगा अथवा नहीं। पहले पहल भाण्डागार किराये पर लिया जाता है और बाद में उसके लाभ को देख कर अपना भाण्डागार बनाने का निर्णय किया जाता है। इस प्रकार उपयुक्त स्थान आदि छांटने में औसतन २ वर्ष का समय लग जाता है। केन्द्र सरकार का विचार तीसरी योजना में ५५ केन्द्रों में भाण्डागार बनाने का है। तीसरी योजना के अनुसार हम किराये के भाण्डागारों के अतिरिक्त २,३७,००० टन के अपने गोदाम बना लेंगें। हमारा यही लक्ष्य है।

[श्री अ० म० थामस]

मैं सभा की जानकारी के लिये बता देना चाहता हूं कि यद्यपि केन्द्र तथा राज्य भाण्डागार निगमों की भांडार क्षमता बहुत सीमित है परन्तु इसका असर इन निगमों के कार्यकलापों के विस्तार पर नहीं पड़ने वाला है। सभा जानती है कि खाद्य विभाग के समस्त देश में भांडार हैं तथा शीघ्र ही किराये के भाण्डागारों के अतिरिक्त इसकी अपनी क्षमता २० लाख टन हो जायेगी। केन्द्रीय भाण्डागार निगम तथा खाद्य विभाग के कार्यवहन में अत्यधिक समन्वय होना चाहिये। इस समय केन्द्रीय भाण्डागार निगम का प्रशासन खाद्य विभाग द्वारा किया जाता है । इसलिये जब भी केन्द्रीय भाण्डागार निगम अथवा राज्य भाण्डागार निगम को केन्द्रीय सरकार के खाद्य मंत्रालय को किसी भूमि की जरूरत होती है तो निगम उसका उपयोग कर सकता है। इसी प्रकार यदि खाद्य विभाग को केन्द्रीय भाण्डागार निगम के किसी स्थान की जरूरत होती है तो वह उसका उपयोग कर सकता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि खाद्य विभाग के प्रशासन तथा केन्द्रीय और राज्य भाण्डागार निगमों के प्रशासनों ने अच्छी प्रक्रिया की नींव डाली है।

केन्द्रीय भाण्डागार निगम की भाण्डार से आय बढ़ रही है और गत वर्ष यह १४,२५,००० रुपये हो गई थी जो पहले वर्ष की तुलना में लगभग दुगनी है पहले वर्ष में यह आय ७,८७,००० रुपये थी तथा उससे पहले वर्ष में यह केवल ३,८१,००० रुपये थी। इस वर्ष पहले छः महीनों में आय १०,३७,००० रुपये हुई है इससे स्पष्ट हो जाता है कि पहले वर्षों की तुलना में हमें बड़ा लाभ हो रहा है ।

मैं यह स्वीकार करता हूं कि निगम को अभी व्यापारियों से ही अधिकांश आय हो रही है। परन्तु इसके साथ में बताना चाहता हूं कि किसान इसके लाभ समझ रहे हैं और भाडारों की प्रतिशतता की वृद्धि इसका प्रमाण है।

†**श्री रंगा** (चित्तूर) : इस ६ लाख की क्षमता का किसानों ने कितना उपयोग किया है ?

†**श्री अ० म० थामस** : केन्द्रीय भाण्डागार निगम के गोदामों में लगभग २० प्रतिशत खाद्य विभाग की वस्तुयें रहती हैं ।

†**श्री रंगा** : और राज्य भाण्डागार निगमों में ?

†**श्री अ० म० थामस** : मैं इस प्रश्न को पूछने के बारे में माननीय सदस्य का उद्देश्य समझता हूं। वह जानना चाहते हैं कि उत्पादकों को उचित गोदाम सुविधायें पूरी तरह से उपलब्ध की गई हैं अथवां नहीं। हमें याद रखना चाहिये कि हमारे यह लक्ष्य सहकारी विपणन समितियों द्वारा पूरे होंगे। यह सहकारी समितियां उत्पादकों से सम्बन्ध रखेंगी और सहकारी समितियां जिन खाद्यान्न को अपने पास नहीं रख सकेंगी अर्थात् जो खाद्यान्न उनकी जरूरत से अधिक होगा उसको राज्य भाण्डागार निगम ले लेंगे तथा इसके बाद जो खाद्यान्न राज्य व्यापार निगम की भी जरूरत से ज्यादा होगा उस को केन्द्रीय भाण्डागार निगम ले लेगा। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि जब तक सहकारी विपणन का विकास नहीं होता है तब तक भाण्डागार निगम के लाभ उत्पादकों को नहीं दिए जा सकते हैं। इसलिये आवश्यक है कि स ्कारी क्षेत्र हमारी कुछ सहायता करें जिससे व्यक्तिगत उत्पादक पर योजना लागू हो सके।

†मूल अंग्रेजी में

निगमों में ६.३ करोड़ रुपया लगा हुआ है। पिछले वर्ष पंजाब राज्य भाण्डागार निगम के अतिरिक्त अन्य किसी भी भाण्डागार निगम ने लाभ नहीं दिखाया है। मुझे मालूम हुआ है कि उड़ीसा राज्य भाण्डागार निगम को भी कुछ लाभ हुआ है। केन्द्रीय भाण्डागार निगम को गत पांच वर्षों में २ लाख रुपये की औसत हानि हुई है। निगम की विकास शील परियोजना है और आधुनिक क्रम के भाण्डारों आदि निर्माण आदि के कारण लाभ होना असम्भव है।

सभा समझेगी कि निगम के कार्यों को आंकड़ों से नहीं समझा जा सकता है। भाण्डागार आदि के लाभ उत्पादकों तक पहुंचाने के लिये बहुत अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता है क्योंकि पुरानी व्यवस्था को हटाना बड़ा कठिन होता है। मैं बताना चाहता हूं कि ८७ वस्तुयें ऐसी हैं जिनको इन निगमों के गोदामों में रखने पर किसानों को राज्य बैंक से ऋण मिल सकता है। हम इसी प्रकार के प्रोत्साहन किसानों को दे रहे हैं।

केन्द्रीय भाण्डागार निगम ने प्रशिक्षण सुविधायें देने में भी बड़ी प्रगति की है। हमने ६७७ कर्मचारियों को गोदामों का प्रशिक्षण दिया है। ये कर्मचारी केन्द्रीय तथा राज्य गोदाम निगमों में काम कर रहे हैं।

भाण्डागार योजना के लाभों को स्पष्ट करने के लिये विस्तृत प्रचार किया जा रहा है। अंग्रेज़ी तथा प्रादेशिक भाषाओं के योजना स्पष्ट करने के लिये पर्चे छापे गये हैं। समाचार पत्रों तथा रेडियो पर भी इसका प्रचार किया जा रहा है। इसी कारण पंच वर्षों में हमने बहुत अधिक प्रगति कर ली है।

इस सम्बन्ध में मैं यह भी बताना चाहता हूं कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने हाल में ही केन्द्रीय भांडागार निगम से जूट के लिए मूल्य निर्धारण योजना लागू करने के लिये कहा है। संभवतया हमको जूट की ५ लाख गांठों का भंडार करना पड़े। हमने कलकत्ता में आवश्यक कार्यवाही कर ली है और कलकत्ता के औद्योगिक क्षेत्र में जो भी स्थान उपलब्ध हो उसको काम करने के लिए लेने के लिए कह दिया है।

दूसरी चीज जिसको केन्द्रीय निगम भांडार करने वाली चीजों में शामिल करना चाहता हूं, चाय है। यद्यपि अभी इन चीजों के बारे में अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है परन्तु हमने वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय, चाय बोर्ड, चाय उद्योग तथा कलकत्ता के पोर्ट कमिश्नर से इस सम्बन्ध में बातचीत कर ली है। संभवतया २० लाख पेटियों का भांडार करना पड़े। रुपयों में संभवतया ४६ रुपये होगा तथा हमें ५ लाख रुपये के लाभ की आशा है। इससे निगम की आर्थिक स्थिति बहुत सुधर जायेगी।

हमने उर्वरक का भंडार करना आरंभ कर दिया है। १९६१-६२ में गैर सरकारी व्यक्तियों के ८,८९० टन उर्वरक का तथा सरकार के, ८,७८७ टन का हमने भांडार किया था। मैं समझता हूं कि इस हर्ष के हमारे आंकड़े भी इसी प्रकार के होंगे।

मैं ने सभा को यह आंकड़े इसलिए बताये जिससे उसको विश्वास हो जाये कि १९५६ में जब हमने यह निगम बनाये थे तब जो आशायें हमने व्यक्त की थी उनको हमने पूरा करने का पूरा यत्न किया है। पांच वर्ष में हमने जो प्रगति की है उससे मैं आशा करता हूं कि भविष्य में हम और प्रगति कर सकेंगे तथा उत्पादकों को अधिक लाभ दे सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री रंगा** : मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि भाण्डागार निगम ने अपना काम बहुत अच्छे ढंग से करने का प्रयत्न किया है । परन्तु हमारे उप-मंत्री महोदय का कहना है कि निगम अपने काम में सफल नहीं हुआ है । निगम और बोर्ड दोनों मूल्य को स्थिर बनाने के लिये सहायता और मूल्य नियंत्रण के दोहरे प्रयोजन के लिये बनाये गये थे । परन्तु वास्तव में इन दिनों जब कि मुद्रास्फीति और विभिन्न अन्य बातों के कारण मूल्य चढ़ते जा रहे हैं, इनका अधिकाधिक उपयोग मूल्य नियंत्रण के प्रयोजन के लिये किया जा रहा है, मूल्य में स्थिरता के लिय नहीं । दुर्भाग्यवश अभी तक सरकार किसानों की रक्षा करने के लिये पर्याप्त एवं समय पर कदम उठाने में बहुत कृपण रही है । इसके विपरीत औद्योगिक श्रमिकों और वेतनभोगी कर्मचारियों की सहायता के प्रयोजन के लिये कृषि मूल्यों को कम रखने के लिये सरकार भरसक प्रयत्न कर रही है ।

बड़े खेद की बात है कि सरकार ने जो भांडागार प्रणाली निकाली है उस का लाभ किसानों के बजाय धनी व्यापारी उठा रहे हैं । सरकार ने भांडागारों की व्यवस्था करने में पर्याप्त तेजी से काम नहीं किया है जितना कि अपेक्षित था । वह किराय पर जगह लेती रही है जिस का मतलब यह है कि कुछ उपलब्ध स्थान में कोई वृद्धि नहीं हुई है । इस समय यह जरूरी है कि खाद्य तथा कृषि एवं सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालयों को मिला दिया जाये विशेष कर जबकि हम मितव्ययता और कार्यकुशलता लाने का विचार कर रहे हैं ।

सरकार को उन मार्गोपायों पर अधिक ध्यान देना चाहिये जिन के द्वारा वह भांडागारों की सहायता से कृषि मूल्यों को स्थिर रख सके । इस की बजाय कि भांडागार निगम केवल अपनी भांडागार निर्माण क्षमता पर निर्भर करे यह अधिक अच्छा होगा कि वह सौदागरों और व्यापारियों को अपनी निजी भांडागार बनाने के लिये भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा दिये गये धन में से सहायता दे । स्थानीय सरकारों और स्थानीय लोगों की सहायता से ही इस उद्देश्य में अपेक्षित सफलता प्राप्त हो सकेगी और इसी ढंग से अच्छे भांडागारों का निर्माण हो सकेगा जिस की देश को आवश्यकता है ।

श्री सरजू पांडेय (रसड़ा) : अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल पेश किया गया है, इस का मैं समर्थन करने के लिय खड़ा हुआ हूं । अभी यहां पर कहा गया है कि किसानों के उत्पादन का मूल्य निर्धारण होना चाहिये । इस बात को यहां पर कई बार उठाया जा चुका है । मैं इस में ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं । इस बिल के बारे में जो संशोधन मैं ने भेजे हैं और इस बिल की जो मुख्य मुख्य धारायें हैं, उन तक ही अपने को सीमित रखना चाहता हूं । मुख्य रूप से जो वेयरहाउसिंग कारपोरेशन बनाई जाने वाली है, उस के कांस्टीट्यूशन के बारे में ही मैं कुछ बातें माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं ।

जिस का मतलब यह होता है कि जो ग्यारह डायरेक्टर्ज़ होंगे, उन में से छः को गवर्नमेंट नामिनेट करेगी, दो और नामिनेट होंगे किसी न किसी तरह से और सिर्फ तीन का ही इलेक्शन होगा । एक को स्टेट बैंक नामिनेट करेगा और दूसरे को दूसरे जो शेड्यूल्ड बैंक हैं, वे नामिनेट करेंगे । इस का साफ मतलब यह हुआ कि जो बोर्ड आफ डायरेक्टर्ज़ होगा, उस में पूरे का पूरा कंट्रोल सैंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा या उन लोगों का रहेगा जिन को सरकार नामिनेट करेगी । इस बारे में मैं ने एक सुझाव दिया है कि हम को इस को इस तरह से बनाना चाहिये कि चार आदमी तो सैंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नामिनेट किये जायें और बाकी डायरेक्टरों का इलेक्शन होना चाहिये, चुनाव होना चाहिये । इस वक्त इस बिल में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है और मैं चाहता हूं कि इस पर विचार कर लिया जाना चाहिये ।

†मूल अंग्रेजी में

आगे चल कर पेज ५ पर जहां तक मनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त करने का सम्बन्ध है, उस की एप्वाइंटमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी । उस का भी इलक्शन नहीं होगा बल्कि यह कहा गया है कि उसे केन्द्रीय सरकार मनोनीत करेगी ।

इस सिलसिले में मेरा कहना यह है कि इस कंसलटेशन का कोई अर्थ नहीं है । इस बिल में इस तरह का भी विधान नहीं किया गया है कि डायरेक्टर्ज़ कुछ नाम भेजेंगे और उन में से किसी एक को सेंट्रल गवर्नमेंट चुनेगी । जिस तरह से इस क्लाज़ को रखा गया है, उस का सीधा सादा अर्थ यह निकलता है कि मैनेजिंग डायरेक्टर का चुनाव भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया जायेगा और इस कंसलटेशन के कोई मानी नहीं हैं क्योंकि उन डायरेक्टरों की कोई राय नहीं होगी । अगर बिल में इस तरह का प्राविजन रख दिया जाता कि दो या तीन या चार नाम डायरेक्टर्ज भेजेंगे और उनमें से सेंट्रल गवर्नमेंट किसी एक का चुनाव करेगी किसी एक को सिलक्ट करेगी तो भी कुछ बात थी । लेकिन वह भी नहीं किया गया है । सीधे सादे शब्दों में उस की नियुक्ति का अधिकार भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रख लिया है ।

इस में एग्जेक्टिव कमेटी के बनाये जाने का भी विधान किया गया है । पेज ८ पर कहा गया है :—

"There shall be an Executive Committee of the Central Warehousing Corporation which shall consist of

(a) the Chairman and the Vice-Chairman of the board of directors;

(b) the managing director; and

(c) two other directors chosen by the Corporation in the prescribed manner."

केन्द्रीय भांडागार निगम की कार्यकारिणी होगी उस में निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे । मैनेजिंग डायरेक्टर होगा और जो पूरी की पूरी एग्जेक्टिव कमेटी बनेगी, इस में भी तीन आदमी सरकार के नामिनेटिड हो जायेंगे ।

बिल में यह भी कहा गया है कि वन-थर्ड शेयरहोल्डर्ज़ अगर चाहें तो स्पेशल मीटिंग काल कर सकते हैं । लेकिन इस के लिये बहुत ज्यादा समय इस में दिया गया है इस में कहा गया है कि तीन मास के बाद होगी । मेरा इस सम्बन्ध में कहना यह है कि २१ दिन का जो समय दिया गया है, यह नहीं होना चाहिये । पंद्रह दिन का वक्त बहुत है । इस सिलसिले में मैं ने एक एमेंडमेंट भी भेजा है और मैं समझता हूं कि उस पर विचार होगा ।

साथ ही यह भी कहा गया है कि २१ दिन के बाद जो शेयरहोल्डर्ज़ चाहते हैं कि मीटिंग बुलाई जाय वे तीन महीने के अन्दर मीटिंग कर सकते हैं । इस सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि दोनों सूरतों में बिला वजह इतना अधिक वक्त इन को नहीं मिलना चाहिये । अगर तिहाई शेअरहोल्डर्स स्पेशल मीटिंग के लिये रिक्विजिशन भेजते हैं तो उस के लिये बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स को पन्द्रह दिनों का टाइम देना काफी है । अगर वह मीटिंग नहीं बुलाते हैं . . . . .

श्री दे० शि० पाटिल (यवतमाल) : अध्यक्ष महोदय, यह बिल पर चर्चा की पहली अवस्था है जिस में केवल तत्वों के ऊपर विचार होना चाहिये, क्लाज बाई क्लाज चर्चा नहीं होनी चाहिये, ऐसा मेरा विचार है । मैं आप से इस के सम्बन्ध में व्यवस्था चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है कि इस वक्त सिर्फ जनरल प्रिंसिपल्स पर ही चर्चा होनी चाहिये, अमेंडमेंट्स पर नहीं । इस वक्त बिल की तफसील में जाने की जरूरत नहीं है ।

श्री सरजू पांडेय : इसी तरह से स्टेट कारपोरेशन्स के सम्बन्ध में पेज ११ पर लिखा है :

"कि पांच निदेशक राज्य सरकार द्वारा मनोनीत करेंगे ।"

इस सिलसिले में मेरा कहना यह है कि अगर इस तरह से स्टेट कारपोरेशन्स बनाये जायें तो फिर एक ऐसा बिल यहां पर रख दिया जाये कि कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के आदमियों को ले कर वेअरहाउसिंग कारपोरेशन बना दिया जाये । अगर स्टेट्स में वेअरहाउसिंग कारपोरेशन बनाना है तो उस में पांच आदमी सेंट्रल गवर्नमेंट की राय से रक्खे जायें यह बिल्कुल एक अप्रजातान्त्रिक तरीका है। यही नहीं, इस के बाद पेज ११ पर क्लाज २० के सब क्लाज (सी) में लिखा है कि सब नियुक्तियां केन्द्रीय भांडागार निगम की स्वीकृति से होंगी फिर यही नहीं, अगर स्टेट कारपोरेशन को कोई काम करना होगा, कोई हाउस बिल्डिंग बनानी होगी, तो उस को सेंट्रल गवर्नमेंट से इजाजत लेनी होगी । इस के बाद एक क्लाज में पेज १३३ के ऊपर यह कहा गया है :

"कि हर बात के लिये केन्द्रीय भांडागार निगम ही निश्चित करेगा ।"

इस का मतलब यह हुआ कि कोई भी चीज स्टेट कारपोरेशन नहीं कर पायेगा । लिखा पढ़ी करने में महीनों लग जायेंगे । मेरा मुख्य सुझाव यह है कि यह ठीक है कि हमारे देश में वेअरहाउसिंग बहुत जरूरी है लेकिन यह हमारी सारी मांगों को पूरा नहीं करता है और हम को इस ओर ध्यान देने की बहुत जरूरत है ।

इस बिल का रूप ऐसा है कि सारे का सारा अख्त्यार सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है और जो बेचारे शअरहोल्डर्स हैं या दूसरे लोग हैं उन को कोई अख्त्यार नहीं है । इस सिलसिले में मेरा सुझाव यह है कि बिल को इस तरह से अमेंड करना चाहिये जिस से कि हम स्टेट को इस बात का अख्त्यार दें कि अगर वे बिल्डिंग वगैरह बनाना चाहें तो उस के लिये उन को सेंट्रल वेअरहाउसिंग कारपोरेशन से इजाजत लेने की जरूरत न रहे ।

साथ ही साथ जो बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स के मेम्बर बनाय जाते हैं उन में से कम से कम छः आदमी ऐसे हों जो सरकार के नामिनेटड न हों। पांच आदमी सरकार के नामिनेटड रहें बाकी बाहर से लिय जायें ।

इसी तरह से जो स्टेट वेअरहाउसिंग कारपोरेशन के एम्प्लायीज़ हैं उन के सम्बन्ध में एक क्लाज है पेज १२ पर । इस क्लाज़ २१ के सब क्लाज़ (३) में दिया हुआ है कि अगर कोई आदमी किसी क्रिमिनल आफेन्स के लिये सजा पाता है जोकि छः महीने से कम की सजा नहीं है तो वह सजा के खत्म होने के पांच वर्ष बाद इस का शयरहोल्डर हो सकता है । मैं कहता हूं कि ऐसे लोगों के लिय इस पांच साल से ज्यादा का समय रखना चाहिय । मैं ने सुझाव दिया है कि जो लोग क्रिमिनल आफेन्स में सजा पाय हुए हों उनके लिये कम से कम सात साल का समय रक्खा जाये । ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वह शत प्रतिशत गुनाहगार है लेकिन फिर भी हम को इस चीज पर रोक लगानी चाहिये और सात साल खत्म होने के पहले कोई ऐसा आदमी नहीं लिया जाना चाहिये । मुझे उम्मीद है कि जो सुझाव मैं ने रक्खे हैं उन को मान लिया जायेगा और इस बिल को प्रजातांत्रिक बनाया जायेगा । इस के लिये शअरहोल्डर्स को अधिक से अधिक अधिकार दिये जायें, लेकिन इस में एक चीज़ नहीं है कि जो प्राइवेट प्रोड्यूसर्स हैं उन का क्या हो । अभी हमारे यहां सब जगह कोआपरेटिव सोसायटीज़ बनाई गई हैं । वे उन लोगों की हैं जोकि मामूली अवस्था के थ । लेकिन जो बड़े-बड़े खेतों वाले लोग हैं वह अपना अनाज कहां रखेंगे, इसके लिये इस में कोई व्यवस्था नहीं है ।

यह बिल जो है वह बहुत अच्छा है इसलिये मैं इस का स्वागत करता हूं, जैसेकि मैंने पहले कहा है, लेकिन साथ ही साथ यह चाहता हूं कि जो अमेंडमेंट मैं ने रक्खे हैं उन को मंत्री महोदय मान लें ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** (जम्मू तथा काश्मीर) : में इस विधेयक का स्वागत करता हूं। विधेयक के उपबन्धों के बारे में कुछ कहने से पूर्व में भांडागार के समूचे विषय पर कुछ कहना चाहता हूं। आज इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि केन्द्रीय भांडागार निगम विधेयक इस क्षेत्र में काम करने वाले दो निगमों को कानूनी शकल देने का यत्न किया। एक विधेयक तो गत सत्र में सभा ने पारित भी किया था। परन्तु वह सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय का विधेयक था, जिस का कार्य खाद्य तथा कृषि मंत्रालय से बिलकुल भिन्न है।

हमें एक बात स्पष्ट समझ लेनी चाहिये कि सहकार अपने आप में एक सक्रिय आन्दोलन है, अतः उसे खाद्य तथा कृषि मंत्रालय से सर्वथा अलग रखना चाहिये। यह उचित ही है कि भांडागारों की स्थापना का प्रश्न सहकार विभाग को सौंपा गया है। यह भी सन्तोष की ही बात है कि संचालक बोर्ड का संगठन वित्तीय निगमों की प्रणाली पर है। मैं यह निवेदन करना चाहता हुं कि राज्यों को धन दिया जाना चाहिये ताकि इस कार्यक्रम का तेजी से प्रसार किया जा सके। राज्य सरकारें भी केन्द्रीय प्रणाली के अनुसार अपने स्थानीय निगम बनायें। परन्तु उन के लिये अपने साधनों से धन की व्यवस्था करना सम्भव नहीं होगा। इन शब्दों से मैं विधेयक का स्वागत करता हूं।

†**श्री अ० च० गुह** (बारासात) : इस विधेयक पर विचार करते हुए हमें भांडागार निगमों की स्थापना के इतिहास पर भी दृष्टि डालनी होगी। १९५६ की बात है देहाती कर्जा सर्वेक्षण प्रतिवेदन पर सरकार ने एक प्रस्ताव पर सरकार द्वारा यह उपक्रम करना स्वीकार किया था। अब तो सहकारी विकास संगठन और भांडागार को अलग अलग कर दिया गया है और हमें इस बांट के प्रभावों पर भी विचार करना होगा। कई माननीय सदस्यों ने इस बांट का समर्थन भी किया है। परन्तु मूलतः भांडागार कार्यक्रम को सहकार आन्दोलन की ही एक कड़ी माना गया था। मेरे विचार में तो उसे अलग नहीं किया जाना चाहिए था। मैं नहीं कह सकता कि यह विभाजन कहां तक सफल रहा है?

इस समय भाण्डागारों में जो लोग अपना माल रखते हैं उनमें वास्तविक उत्पादकों का प्रतिशत बहुत कम है। मुख्य लाभ व्यापारी उठा रहे हैं। उत्पादकों को आकृष्ट करने के लिये उनसे लिया जाने वाला शुल्क कम किया जाना चाहिये। इस विषय को मंत्रालय के कृषि विभाग से लेकर खाद्य विभाग को सौंपने का मतलब यह है कि वह व्यापारियों के लाभ के लिये किया जा रहा है जबकि वास्तविक प्रयोजन कृषि की सहायता करना है।

भाण्डागार निगम के बोर्ड में राष्ट्रीय सहकारिता विकास द्वारा निगम नामांकित एक संचालक रखने से इन दोनों संगठनों में पर्याप्त समन्वय नहीं स्थापित हो सकेगा। इमारतें किराये पर लेने का मतलब केवल इतना ही है कि वर्तमान संग्रह क्षमता गैर-सरकारी व्यक्तियों से सरकार के हाथ में आ जाती है। आवश्यकता इस बात की है कि वर्तमान क्षमता को बढ़ाया जाये।

चाय के लिये संग्रह व्यवस्था करने का निर्णय प्रतिगामी कदम है। इस के लिये पृथक भाण्डागार होने चाहिये। ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति ने एक सिफारिश यह की थी कि निगम को विनियमित बाजार का प्रबन्ध करना चाहिये। इस दिशा में कुछ भी नहीं किया गया मालूम होता है। किसानों के लाभ के लिये पेशगी केवल माल जमा करने पर ही नहीं वरन् खड़ी फसल पर दी जानी चाहिये

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री काशी राम गुप्त (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, आशा यह की जाती थी इस बिल के द्वारा ऐसी व्यवस्था की जायेगी, जिससे किसान को सीधा लाभ पहुंचेगा। किन्तु जब इस बिल को देखा गया, तो मालूम हुआ कि इसमें किसान के लाभ के बजाय बड़े व्यापारी के लाभ का ही बहुत अच्छी तरह से खयाल रखा गया है। इसका स्पष्ट उदाहरण यह है कि इस बिल के द्वारा बोर्ड आफ डायरेक्टर्ज में रेकगनाइज्ड एसोसियशन्ज के अर्थात् फ़ार्वर्ड ट्रेडिंग करने वाली एसोसियशन्ज के नुमायंदे को स्थान दिया गया है। हम यह अच्छी तरह से जानते हैं कि कितने ही वर्षों से यह देखा जा रहा है कि फसल के वक्त जो भाव होते हैं, उसके बाद वे भाव बढ़ जाते हैं और इन भावों को बढ़ाने की भारी जिम्मेदारी फ़ार्वर्ड ट्रेडर्ज की है, जिनका नुमायंदा बोर्ड आफ डायरेक्टर्ज में लिया जा रहा है। जिस संस्था में ऐसे वर्ग के नुमायंदे लिए जायें, जो कि मुल्क में भावों को तेज करने में सहायक हों, वह संस्था किस तरह से साधारण किसान का हित कर सकती है, यह बहुत ज्यादा स्पष्ट हो जाता है।

इस बिल में रेकगनाइज्ड एसोसियेशन्ज के साथ ही इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स और इन्शोरेंस कम्पनीज को भी रखा गया है। अगर सिर्फ लाइफ इन्शोरेंस कार्पोरेशन को रखा जाता है, तब तो हम समझ सकते थे, लेकिन इन्शोरेंस कम्पनीज भी आ जाती हैं, जो कि सब प्राईवेट सैक्टर में हैं।

जहां तक डायरेक्टर बनाने का प्रश्न है, इन संस्थाओं की ओर से एक अलाहिदा डायरेक्टर लेने की व्यवस्था की गई है। अगर इन को शेयर लेने वाली संस्थाओं की श्रेणी में रखा जाता है, तो क्या यह भी जरूरी है कि उनका एक नुमायंदा भी बोर्ड आफ डायरेक्टर्ज में हो?

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया है, अब तक का इतिहास यह बताता है कि इस काम का बहुत थोड़ा हिस्सा किसान को सीधा लाभ पहुंचाने वाला है। इसमें सरकार के गोदाम होते हैं, जिनका लाभ व्यापारी को होता है। जहां तक किराये पर गोदाम लेने का प्रश्न है, अगर इस बारे में जांच की जाये, तो मालूम होगा कि सरकार जो पैटर्न या स्टैंडर्ड बनाती है, डिस्ट्रिक्ट लैवल पर बहुत कम ऐसे गोदाम होते हैं, जिनमें वह पैटर्न रखा गया है और उसकी पूरी हिफाजत की गई है।

जहां तक शेयर्ज का सम्बन्ध है, यह व्यवस्था की गई है कि ४० परसेंट शेयर्ज तो सैंट्रल गवर्नमेंट के होंगे और बाकी स्टेट बैंक, शिड्यूल्ड बैंक्स, क़ोआपरेटिव सोसायटीज और रिकगनाइज्ड एसोसियेशन्ज के। कोआपरेटिव सोसायटीज का नाम तो उसमें लिख दिया गया है, लेकिन मालूम नहीं कि अमल में उनको स्थान मिलता है या नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर उनको शेयर मिलने की बात होती, तो इस बिल में स्पष्ट तौर पर यह लिखा जाता कि इतने परसेंट शेयज जरूर को-आपरेटिव सोसायटीज को दिये जायेंगे और अगर वे नहीं लेंगे, तब देखेंगे। उसके लिए परसेंटेज फिक्स करना जरूरी था, जैसा कि सरकार के लिए ४० परसेंट फिक्स किया गया है। अगर कोआपरेटिव सोसायटीज और क़ोआपरेटिव बैंक्स का परसेंटेज भी फिक्स कर दिया जाये, तो उनको प्रोत्साहन मिलेगा और उन पर दबाव पड़ेगा। उनका परसेंटेज फिक्स न करने और उनको ऐसे लोगों के साथ रख देने, जो कि बहुत मजबूत लोग हैं, उनसे यह साफ जाहिर होता है कि या तो सरकार का मंशा को-आपरेटिव सोसायटीज को आगे बढ़ाने का नहीं है और अगर है, तो वह मंशा होते हुए भी वह उस रास्ते को भूल गई है। मेरा नम्र निवेदन है कि जहां तक कोआप-

रेटिव सोसायटीज के शेयर का सम्बन्ध है, उसको निश्चित रूप से परसेंटेज के हिसाब से फिक्स कर देना चाहिए।

जो स्टेट कार्पोरेशन्ज बनेंगे, कानून में कोई भेद नहीं रखा गया है कि उनका कोई अलग सैक्टर होगा और सैंट्रल वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन का अलग सैक्टर होगा। लेकिन जहां तक अमल का प्रश्न है, माननीय मंत्री जी फरमाते हैं कि सैंट्रल कार्पोरेशन के वेयर-हाउसिज बड़े बड़े शहरों में होते हैं और बड़े बड़े कामों को करते हैं। मैं समझता हूं कि बड़े बड़े कामों के माने हैं सरकार के काम या बड़े पूंजीपतियों के काम। इसलिए ज्यादा अच्छा होता कि एक ही सैंट्रल कार्पोरेशन होती और स्टेट्स में उसकी ब्रांचें, शाखायें होतीं और वे शाखायें बड़े और छोटे कामों को निर्धारित करतीं। अगर एक ही जगह पर यह सब काम कोआर्डिनेटिड होता तो ज्यादा अच्छा होता। अब किस प्रकार से स्टेट्स की कार्पोरेशन्ज बनेंगी, उसका नतीजा यह होगा कि आधा रुपया स्टेट गवर्नमेंट्स का होगा और आधा केन्द्रीय सरकार का होगा, लेकिन केन्द्रीय सरकार का बहुत ज्यादा कंट्रोल होगा, जैसा कि अभी माननीय सदस्य, श्री पाण्डेय, ने कहा है।

अगर केन्द्रीय सरकार का उस पर कंट्रोल रहेगा, तो इन कामों में बहुत ज्यादा देरी होने की सम्भावना होती है और छोटे कामों के करने में बहुत मुश्किल पेश आती है। जिस प्रकार का यह ढांचा बनाया गया है, उसको देखने से साफ तौर पर मालूम होता है कि जिस मंशा से वेयरहाउसिंग स्कीम चलाई गई थी, वह मंशा इससे पूरा नहीं होता है, बल्कि परिणाम उससे उल्टा ही होता है।

हम चाहते हैं कि कोआपरेटिव सोसायटीज बढ़ें, लेकिन को-आपरेटिव सोसायटी की डेफिनीशन भी भिन्न है। सर्विस को-आपरेटिव सोसायटीज और क्रेडिट सोसायटीज उसके अन्तर्गत नहीं आती हैं। बाकी सोसायटीज की तादाद अभी देश में बहुत थोड़ी है। इसका मतलब "ऐनी सोसायटी" नहीं है। इसमें उस सोसायटी को रखा गया है, जो कि किसी स्पेशल परपज के लिए काम कर रही है। उसका काम इसमें डिफाइन्ड है।

इसको देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि हमको भारी प्रयत्न करना होगा कि इस प्रकार की सोसायटीज ज्यादा बढ़ें, लेकिन इस बिल की मूल धारायें इस उद्देश्य की प्राप्ति में लाभदायक सिद्ध नहीं होती हैं। इसलिए यह व्यवस्था करना आवश्यक है कि नीचे के स्तर पर जाकर कोआपरेटिव सोसायटीज ज्यादा से ज्यादा बनें और वहां पर वेयरहाउसिंग स्कीम कामयाब हो। मैं निवेदन करूंगा कि बड़े-बड़े शहरों में तो लिमिटिड कम्पनीज और पूंजीपति लोग अपने वेयरहाउसिज बना कर चला सकते हैं, इस लिए हम को ज्यादा जोर जिलों पर और उनके नीचे के स्तर पर देना चाहिए, ताकि वहां के गरीब और साधनहीन लोगों को वेयरहाउसिंज की सुविधायें उपलब्ध की जा सकें।

जहां तक पूंजी का सम्बन्ध है, सैन्टर के लिए बीस करोड़ रुपए और प्रत्येक प्रदेश के लिए दो करोड़ रुपए के शेयर कैपिटल की व्यवस्था की गई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेशों की अवस्था भिन्न-भिन्न है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में कोआपरेटिव सोसायटीज बहुत काम कर रही हैं, बहुत बड़े स्केल पर काम कर रही हैं, जब कि दूसरी जगहों पर यह स्थिति नहीं है और कोआपरेटिव सोसायटीज बहुत कम काम कर रही हैं। इसलिए जो मैक्सिमम रकम रखी गई है, उसका तात्पर्य तो यह हुआ कि जहां बहुत अच्छा काम है, वहां के लोगों को आगे बढ़ावा न दिया जाये और जहां पर काम कम है, वहां के

[श्री काशी राम गुप्त]

लोग उतना काम न कर सकें। इसलिए अगर किसी जगह पर ज्यादा काम की जरूरत है, तो वहां पर दो करोड़ रुपए की लिमिट को बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर दो करोड़ रुपए की लिमिट हो, तो उसका दस गुना काम अर्थात दस करोड़ रुपए का काम ही कर सकते हैं, वहां इस से आगे काम नहीं कर सकते हैं।

माननीय मंत्री जी ने बताया कि वह जूट और टी को इस में शामिल कर रहे हैं। मेरा नम्र निवेदन यह है कि ये दोनों ऐसी वस्तुयें है, जो बहुत अधिक तादाद में होती है और जो एक ही क्षेत्र से सम्बन्धित हैं। इसलिए अगर उन के लिए अलग वेयरहाउसिंग स्कीम बनाई जायें, तो अधिक लाभदायक होगा, बनिस्बत इस के कि सब चीज़ों को एक ही स्कीम में में शामिल कर दिया जाये। मैं समझता हूं कि बहुत सी चीज़ों को एक ही वेयरहाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत लाने के तरीके को सफलता मानना एक भ्रम की बात है। सफलता इस में होगी कि हम फूड-स्टफ्स को, खुराक की चीजों को, प्राथमिकता दें, क्योंकि वही ज्यादा बड़ी तादाद में होती है और उन्हीं के भाव आगे जाकर बढ़ते हैं और फ़सल के टाइम पर गिरते हैं। कैश क्राप्स को तो व्यापारी वर्ग सम्भाल लेता है, लेकिन जो कैश क्राप्स नहीं हैं, जो फूडग्रेन्ज़ हैं, उन को व्यापारी नहीं सम्भालता है, या उस का लाभ उस को मिलता है, किसान को नहीं मिलता है। इस लिए किसान के लाभ के लिए यह आवश्यक है कि उन कामाडिटीज़ को इस में न लाया जाये, जिन से उस को सीधा लाभ बाद में नहीं पहुचता है, बल्कि जिन की तादाद थोड़ी है। मैं समझता हूं कि विशेषकर फूड ग्रेन्ज़ को इस में प्रमुखता देनी चाहिए।

जहां तक गोडाउन्ज़ इत्यादि की बिल्डिंग का सवाल है, वे एक फ़ेज्ड प्रोग्राम के आधार पर बनाए जा सकते हैं, लेकिन यदि सरकार सब जगह अपने गोडाउन्ज़ न बनाए, तो प्राईवेट एजेन्सीज़ से अपना पैटर्न देकर बनवाया जाये और लांग-टर्म लीज़ पर, सस्ते किराये पर, उन को लिया जाये। अगर इस प्लान पर चलेंगे, तो अधिक हितकर होगा।

जहां तक इस मूल सिद्धान्त का ताल्लुक है, इस में कोई दो मत नहीं हो सकते है। लेकिन जहां तक इसको अमल में लाने का प्रश्न है, जिस प्रकार का यह ढांचा बना है, उससे साधारण जनता को और किसान को लाभ होने की सम्भावना कम है। वे सम्भावनायें किस प्रकार बढ़ सकती हैं, इस पर सरकार को दृष्टि डालनी चाहिये।

अन्त में जो समय आपने मुझ दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि जो सुझाव मैंने आपके सामने रखे है, उन पर विचार किया जाएगा।

†**श्री त्यागी** (देहरादून): यद्यपि मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं इस पर भी मैं इसका हार्दिक स्वागत नहीं कर सकता। यह कृत्यों के बटवारे की बात मुझे बहुत अधिक पसन्द नहीं आई। यदि यह इस लिए है कि कृषि उत्पादन बढ़ाया जाय तो उसके लिए तो एक ही अभिकरण काफी है और उसके प्रयत्नों से इस कार्य को सफलतापूवक किया जा सकता है। हमें इस बात को गम्भीरता से सोचना चाहिए कि पहले ही बहुत से निरीक्षणालय काम कर रहे है और उनमें और अधिक वृद्धि करने से और भी गड़बड़ होने की सम्भावना है। मेरा मत तो यह है कि कृषि सम्बन्धी कार्य करने वाले सभी विभागों को मिला कर एक कर देना चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस संदर्भ में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि भांडागार बनाने का कार्य सहकारिता आन्दोलन का ही एक अंग होना चाहिए । उपज बढ़ाने के लिए काश्तकार को खेती आरम्भ करने के समय ऋण की आवश्यकता होती है । इसके अतिरिक्त इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसानों से जो चुंगी वसूल की जाती है, उसकी दर व्यापारियों की दर से कम होनी चाहिए । पटसन और चाय के लिए अलग से प्रबन्ध किया जाना चाहिए । इन शब्दों से मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री लहरी सिंह (रोहतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि एक तो सन् १६५६ में और एक अब, बहुत भारी कदम उठाय गय हैं । यह कहा जाता है कि पैदावार को बढ़ाया जाए और जो अनाज की कमी है इसको अधिक अन्न उपजा कर पूरा किया जाना चाहिये । इसके रास्ते में एक कठिनाई यह भी है कि अनाज पैदा करने वाले के पास इसको जमा करके रखन का साधन नहीं है, कोई सहूलियत नहीं है । आम तौर पर वह घरों में इसको जमा करके रखता था । जहां पर चूहे, सुसरी या दूसरे कीड़ इसको तबाह और बरबाद कर दत थ या फिर बारिश की वजह से यह खराब हो जाती थी । इसका नतीजा यह होता था कि जिस प्रोड्यूसर पर मुल्क का इनहसार है वह बहुत थोड़ी तादाद में अनाज को मार्किट में ला पाता था और जो नुक्सान होता था वह न सिफ जमींदार का होता था, न सिफ किसान का होता था बल्कि मुल्क का भी बहुत ज्यादा होता था । जो कदम अब उठाया जा रहा है, मैं समझता हूं कि यह सही दिशा में उठाया जा रहा है ।

यहां पर जो यह बहस की गई है कि इससे सिफ बड़ों को ही लाभ होगा, मेरी राय में यह सरासर गलत है । जितन भी जमींदार हैं, जितन भी खती करने वाले हैं व वयरहाउसिस से फायदा उठा सकत हैं, इस में कोई मनाही नहीं है । अगर वह बचता है और साल भर अगर कोई ट्रडर वगरह उस अनाज को महफूज रख कर स्वयं मार्किट में देता है, तो वह भी मैं समझता हूं मुल्क को फायदा पहुंचाता है । मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा वयरहासिस मुल्क में खुलें । लकिन इसके साथ ही साथ मेरी गवनमेंट से यह भी रिक्वस्ट है कि ज्यादा तर वयर-हाउसिस उन जगहों पर खुलन चाहियें जहां पर प्रोड्यूस ज्यादा होती है, जहां पर पदावार ज्यादा होता है, जसे व इलाके हैं, जिन को भाखड़ा से फायदा पहुंचा है और पदावार बड़ी है । लकिन आज होता है यह कि हापड़ में या इसी तरह की दुसरो जगहों पर ज्यादातर इनको खोल दिया जाता है, उन जगहों पर ज्यादातर खोल लिया जाता है जहां पर ट्रडर्ज ज्यादा होत हैं और यह इसलिए किया जाता है कि उनको सहूलियत हो जाए । जहां अनाज ज्यादा पदा होता है, वहां पर य ज्यादा तादाद में खुलन चाहियें न कि वहां पर जहां ट्रडर्ज ज्यादा हों ।

मैं समझता हूं कि बहुत सा एसा इलाका है जहां अब तक भी इसका फायदा नहीं पहुंच सका है । वहां पर लोगों को मालूम तक नहीं है कि इस तरह को सहूलियत उपलब्ध है । जहां तक क्रडिट और मार्किटिंग सोसाइटीज़ का सम्बन्ध है, उनकी तादाद भी बहुत कम है और उसको बढ़ाया जाना चाहिय । इस लिय वअरहाउसिंग के लिय जितना ज्यादा से ज्यादा रुपया दिया जाय वह मुल्क की डिफिशिएन्सी को पूरा करेगा और मुल्क का और गरीब किसानों का जितना फायदा होगा उस का आप अन्दाजा नहीं लगा सकत ।

दूसरी बात मुझ यह अज करनी है कि इस में बहुत से जमींदार, बहुत से खती करने वाले आदमी, अपना अनाज रखना चाहत हैं । लेकिन एक तो उन को इस के बारे में मालूम नहीं है, दूसरे बाज दफा उन की जरूरियात एसी हो जाती हैं कि उन को बीच में ही रुपया खर्च करना पड़ जाता है, तालीम के लिय और किसी बात के लिय उन को रुपयों की जरूरत

[श्री लहरी सिंह]

पड़ जाती है और वह दिक्कत महसूस करते हैं। अगर कोई आदमी बजाय बैंक के पीछे फिरने के यहां पर अपना गल्ला डिपाजिट करे और उस को सारे गल्ले के ७५ या ६० परसेन्ट का मार्जिन रखते हुए नामिनल इंटरेस्ट पर लोन दे दिया जाय तो उन का बड़ा फायदा हो सकता है। मैं आप को यहां पर मिसाल देना चाहता हूं कि जब मैं पंजाब में मिनिस्टर था तब मैं देखता था कि होशियारपुर और रोपड़ इन दो जिलों में आलू होता था। छोटे छोटे किसान आलू पैदा करते थे। ज्यों ही आलू की फसल आई कि बड़े बड़े आलू पैदा करने वाले उस को ले जाते थे। उन को ५ या ६ रु० मन आलू मिल जाता था। मैं ने उन की कोआपरेटिव सोसायटीज बनाई, को-आपरेटिव कोल्ड स्टोरेज बनवाये। कोआपरेटिव कोल्ड स्टोरेज बनाने से उन का आलू वहां रक्खा जा सकता था और वे लोग अपने आलू को वहां ले जाते थे। अगर दूसरे बैंक जब बैंक से २ परसेन्ट पर शार्ट टर्म लोन ले कर उन लोगों को लोन दे सकते हैं जो कि छः महीनों में अदा कर दिया जाता है तो क्यों नहीं यह कारपोरेशन रिजर्व बैंक से २ या २।। परसेन्ट इंटरेस्ट पर शार्ट टर्म लोन ले कर छोटे किसानों को दे सकता है? इस तरह से वह लोग भी मालामाल हो जायेंगे। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि आज जो वेअरहाउसिंग हो रही है उस से खेती करने वालों को फायदा नहीं है। इस लिये कम से कम को उन के लिये यह होना चाहिये कि जो भी अपना अनाज वे डिपाजिट करें उस के ऊपर ६० या ५० परसेन्ट की सिक्योरिटी रखते हुए बाकी ५० परसेन्ट पर उन को लोन दे दिया जाय। मान लीजिये कि उन का १०० मन अनाज है तो ५० मन की कीमत पर २ परसेन्ट या २।। परसेन्ट सूद पर रिजर्व बैंक से रुपया ले कर आप उन को दें ताकि वह क्यों दूसरे बैंक से कर्जा लें। अगर आप इस तरह से उन को रुपया दे दें तो जो खेती करने वाले लोग हैं उन को वाकई फायदा रहेगा और वह लोग कहीं भी अपने सामान को स्टोर में रखने में पीछे नहीं रहेंगे। बड़े जमींदार भी वहां रख सकते हैं, मैं नहीं कहता कि उन को वहां नहीं रखना चाहिये, क्योंकि वह भी तो इसी मुल्क के हैं और इस मुल्क को उन को भी बचाना है, लेकिन जिन के लिये रंगा सहब ने कहा कि फायदा इससे नहीं होगा, उन छोटे किसानों को इस में प्रिफरेंस दिया जाय। अगर आप उन को प्रिफेंस देंगे तो उन को फायदा होगा बशर्ते कि आप रिजर्व बैंक से शार्ट टर्म लोन पर रुपया ले कर २ या २।। परसेन्ट इंटरेस्ट पर उन लोगों को दें। अगर आप इस तरह से उन को रुपया एडवान्स करेंगे तो उन को जरूर फायदा होगा।

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : क्या उन लोगों को वेअरहाउसिंग कारपोरेशन में सामान रखने का किराया देना पड़ता है?

श्री लहरी सिंह : जो भी रीजनेबल रेंट होगा वह उनसे लिया जायेगा। अगर मेरा १०० मन गेहूं वहां रक्खा है और उस १०० मन में से ५० मन की कीमत मुझे कम इंटरेस्ट पर दे दी जाय तो मैं खुशी से पूरा किराया दूंगा। तो आज यह मुसीबत खेती करने वालों की है कि उसको साल भर बाद रुपया मिलता है। अगर वह उनको छः महीने पर मिल जाय तो वह बजाये बैंक के पास जायें, इधर उधर टक्कर मारें, आपके पास आयेंगे। आज कोआपरेटिव सोसायटियों के पास इतना रुपया नहीं है। इसलिये जो कुछ वह स्टोर करे उस पर आधे के मार्जिन पर २ परसेन्ट पर छः महीने के लिये रुपया दे दिया जाय।

इसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि खेती करने वालों को इम्प्लिमेंट्स नहीं मिलते हैं, और अगर मिलते भी हैं तो उन को मालूम नहीं है कि सरकार का क्या प्रोग्राम है। जब भी उनको इम्प्लि-मेंट्स की जरूरत होती है तो वे इधर उधर मारे मारे फिरते हैं। अगर उन को इम्प्लिमेंट्स मिल जायें

तो वह क्यों इधर उधर मारे मारे फिरें। इसके अलावा चूंकि खेती करने वाले के पास स्टोर करने की आसानी नहीं है इस लिये आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट यह करे कि बोने के वक्त में किसान को अच्छा बीज मिल जाय। अगर किसान अच्छा बीज बोयेगा तो उसका नतीजा यह होगा कि फसल अच्छी होगी। आज उसकी पैदावार अच्छी नहीं होती। अगर उस को सीड वक्त पर मिल जाय तो उसका फायदा हो सकता है लेकिन वक्त पर वह तभी मिल सकता है जब वेअरहाउसिंग का इन्तजाम हो। यह वेअरहाउसिंग हर एक डिस्ट्रिक्ट में हो। यह न हो कि वेअरहाउसिंग दो डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में हो ताकि किसानों को अच्छा बीज वक्त पर मिल सके बगैर किसी महकमे के सामने गये हुए क्योंकि जब कभी जमीदार डिपार्टमेंट के पास जाता है, तो मैं सच कहता हूं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले उसको बीज नहीं देते हैं। वह लोग ऐसे हैं कि बजाय उसको सीड देने के वे उसको मार्केट में बेच देते हैं। अच्छा गेहूं होने की वजह से जब हम उनसे कहते हैं कि बीज दो तो कहते हैं कि अभी ऊपर से मंजूरी नहीं आई है। वह मंजूरी तब आती है जबकि किसान लोग अपनी फसल बो चुकते हैं। वह जो गेहूं बच जाता है उसको महकमे वाले फिर बाजार में बेच लेते हैं। जहां वेअरहाउसिंग स्टोर्स से यह फायदा होगा कि इम्प्लिमेंट्स वगैरह मिलेंगे वहां सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एग्रिकल्चर डिपार्टमेंट अपने प्रोग्राम को सही शक्ल में आगे ले जा सकेंगे और लोगों को वक्त पर सीड वगैरह भी मिल जायेंगे। मगर इसका फायदा तभी होगा जबकि इसको उन डिस्ट्रिक्ट्स में शुरू किया जाय जहां पर ज्यादा पैदावार होती है। हमारा हिसार का डिस्ट्रिक्ट है जो कि पैदावार के हिसाब से इण्डिया भर में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जब से कि भाखरा बना है। वहां पर एक एक किसान का एक एक लाख मन गल्ला पड़ा हुआ खराब हो रहा है क्योंकि वहां पर वेअरहाउसिंग का इन्तजाम नहीं है। आप खुर्जा और हापुड़ में वेअरहाउसिंग का इन्तजाम न करें, एसी मेरी जिद नहीं है, आप वहां भी खोलें लेकिन इस तरह का नक्शा इंडिया का लें जिससे कि लोगों को सही गाइडेंस मिल सके और आपकी स्कीम कामयाब हो सके।

इसके बाद मेरी अर्ज यह है कि मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि गवर्नमेंट के छः डाइरेक्टर्स क्यों हैं। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी इनीशियल स्टेज में होनी ही चाहिये। गवर्नमेंट जिम्मेदार है वह छः कर दे, सात कर दे, लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि स्टेट वेअरहाउसिंग कारपोरेशन जो बने हैं उनमें जब सेंट्रल गवर्नमेंट के नामिनेटेड मेम्बर होंगे तो स्टेट गवर्नमेंट को बतलाइये कि वह डाइरेक्टर्स को लिखें ५ मेम्बर मनोनीत होंगे। आप बतलाइये कि वह स्टेज है जहां पर पब्लिक को कांफिडेंस में लिया जाये। भारतवर्ष में कोई भी तहरीक कामयाब नहीं होगी, चाहे गवर्नमेंट कितना ही जोर लगाये जब तक कि उसमें पब्लिक का कोआपरेशन न हो। आज कोआपरेटिव सोसायटीज क्यों फेल हो रही हैं? इसलिये उनके कदम कदम पर आफिशलडम है। आप कर्जा लेने जाइये तो रजिस्ट्रार आयेगा, असिस्टेंट रजिस्ट्रार आयेगा, फलाना आयगा, फलाना आयगा। इसका नतीजा यह हुआ है कि जहां बेल्जियम ऐसे छोट छोट मुल्क कोआपरेटिव सोसायटीज के जरिये बड़ी अच्छी जिन्दगी बसर कर रहे हैं वहां पर हिन्दुस्तान इतना बड़ा मुल्क होते हुए भी उसका कोई फायदा नहीं उठा पा रहा है। यहां क्या सेंट्रल गवर्नमेंट और क्या स्टेट गवर्नमेंट सभी जगह पर आफिशलडम बढ़ाई जा रही है और इसका नतीजा यह हुआ कि पब्लिक के अन्दर कोई भी हाथ कोओपरेशन का नहीं रहा। इसमें अब यह हो रहा है। मैं यहां पर स्टेट गवर्नमेंट की बात कह रहा हूं। जहां तक सेण्ट्रल वेअरहाउसिंग की स्कीम है वहां इसको कर दें। बड़े-बड़े बैंक आयेंगे और अपनी राय देंगे। लेकिन वह खाली राय ही नहीं देंगे बल्कि अच्छे अच्छे बैंक आयेंगे वह रुपये भी देते हैं और यहां शेअर भी लेंगे। लेकिन जहां तक स्टेट वेअरहाउसिंग का सवाल है, आप कहते हैं कि ५ निदेशक राज्य सरकार मनोनीत करेगी। स्टेट गवर्नमेंट के क्या माने? स्टेट गवर्नमेंट के माने हैं चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर के माने क्या हैं? पार्टी पालिटिक्स। मैं अर्ज करूंगा कि स्टेट गवर्नमेंट में इस

[श्री लहरी सिंह]

तरह से रक्खा जाय। आपने मार्केटिंग सोसायटीज क्या किया ? आपने सेण्टर के अन्दर सोसायटीज में डाइरेक्टर्स रक्खा लेकिन स्टेट्स में कतई नहीं रक्खा। इसलिय मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि या तो आप अपने रूल्स में कोई हिदायत कर दें। आप कह दें कि पांच डाइरेक्टर्स नामिटेडेड हों, आप उनको एलेक्ट न करायें, लेकिन उनके अन्दर वह डाइरेक्टर्स जरूर हों जो मार्केटिंग वगैरह करते हों। ऐसी हिदायत जरूर कर दें। अगर ऐसा नहीं किया जायेगा तो यह चीज फेल हो जायगी।

मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता लेकिन गवर्नमेंट से यह जरूर कहूंगा कि इसको अच्छी तरह से खेलसली स्टेट तक और डिस्ट्रिक्ट तक निभाने की कोशिश करे और इसको सारे का सारा स्टेट पर ही न छोड़ दे। स्टेट गवर्नमेंट में मैंने देखा कि कामयाबी नहीं होती है : पब्लिक कोआपरेशन नहीं मिलता है और पब्लिक कोआपरेशन तभी आ सकता है जबकि डाइरेक्टर्स समझदार आदमी लिये जायें। सरकार अपनी पार्टी के आदमी लाकर न रक्खे नहीं तो वह वहीं खत्म हो जाता है, और वहां चीजें खत्म होती जा रही हैं।

इन अल्फाज के साथ मैं खत्म करता हूं और उम्मीद करत हूं कि मेरे सुझावों को मिनिस्टर साहब मान लेंगे।

†**श्री कृ० चं० शर्मा** (सरधना) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। व्यावहारिक रूप में समस्या कृषि उत्पादन की है। उस नाते वास्तव में समस्या यह है कि अधिक और बढ़िया प्रकार का उत्पादन किस प्रकार किया जा सके। मेरा मत तो यह है कि इस के लिये शिक्षा का होना आवश्यक है। सरकार को विभिन्न स्तरों पर विश्वविद्यालय, महाविद्यालय तथा वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं की स्थापना करनी चाहिये। इन सब अपेक्षित बातों को दृष्टि में रख कर एक व्यापक योजना बनाई जानी चाहिये। यह हमारे लिये लज्जा की बात है कि कृषि प्रधान होते हुए भी हम विदेशों से अन्न मांग रहे हैं।

गोदामों में वस्तुओं के रखने का जहां तक प्रश्न है, उसमें बहुत अधिक मानवीय तथा वैज्ञानिक रवैया अपनाया जाना चाहिये। मैं इस बात पर विशेष जोर देना चाहता हूं कि किसानों को दर दर जाकर उधार और अन्य प्रकार की सहायता मांगने की आवश्यकता से बचाया जाये।

†**श्री द्वा० ना० तिवारी** (गोपालगंज) : सबसे पहिले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय और सामुदायिक विकास मन्त्रालय को परस्पर मिला दिया जाय ताकि उत्पादन और संरक्षण के काम को उचित तथा संहयोजित ढंग से चलाया जाय।

भांडागार बहुत महत्व की वस्तु है उसे खोला जाय और बड़ी संख्या में खोला जाय। मैं श्री शर्मा से सहमत नहीं हूं कि इसकी आवश्यकता ही नहीं है। बहुत सा अनाज तो चूहों और कीड़ों द्वारा खाया जाता है, ऐसा न हो तो आयात की कोई जरूरत ही न रहे। मेरा मत है कि भाण्डागारों से किसानों को सहायता मिलेगी और मेरा यह भी निवेदन है कि भांडागारों की स्थापना के कार्य के लिये अर्थ-सहायता दी जाय।

विधेयक के खण्ड १६ में इस प्रकार का संशोधन किया जाये जिसकी राज्य सरकारें 'प्राइवेट' व्यक्तियों को भाण्डागारों की स्थापना के लिये ऋण दे सकें।

ग्रामवासियों को 'शीत भाण्डागारों' की स्थापना के लिये प्रोत्साहन दिया जाये ताकि वे फल व आलू आदि का संरक्षण कर सकें। उन्हें धन, मशीनों और विद्युत् की सहायता दी जाए।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर): श्री गोखाला के प्रतिवेदन के बाद यह समझा गया कि इस योजना से उत्पादकों को व्यापारियों से अधिक लाभ होगा। परन्तु सबसे अधिक लाभ व्यापारी ही उठा रहे हैं। यह एक अच्छी बात है कि भाण्डागार प्रत्येक राज्य में स्थापित किये जा रहे हैं।

जिन किसानों को हस्ताक्षर करने नहीं आते, उन्हें इसी कारण बैंकों से ऋण देने से इंकार किया जाता है। इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही की जानी चाहिये। ऐसे मामलों में ऋण भाण्डागारों द्वारा स्वयं दिये जाने चाहियें।

यह मालूम नहीं है कि क्या विभिन्न राज्यों में कृषि उत्पादों, बीजों, कृषिकारों तथा कृषि के औजारों के लिये परिवहन की सुविधायें विद्यमान हैं या नहीं। यदि कुछ राज्यों में ये सुविधायें न हों तो क्या इस विधेयक के पारित करने के बाद ऐसे प्रबन्ध किये जायेंगे। इससे उत्पादकों को बहुत लाभ होगा।

सभा को यह भी बताया जाए कि क्या प्रत्येक राज्य कृषि उत्पादों, बीजों, कृषिसारों आदि की खरीद, विक्रय तथा वितरण के लिये एजेण्ट नियुक्त किये गये हैं। इससे किसानों को बहुत लाभ होगा।

भाण्डागार निगम के कर्मचारियों में एकरूपता होनी चाहिये। इस तरह से कर्मचारियों को काम करने के लिये प्रोत्साहन मिलेगा। वे वेतनक्रमों में विभेद समाप्त किया जाए।

मुझे यह भी बताया जाए कि क्या कर्मचारियों की सेवाओं के स्थायीकरण के बारे में कुछ किया गया है।

श्री विश्राम प्रसाद (लालगंज): अध्यक्ष महोदय, मुझे यह जान कर बड़ी खुशी हुई कि नेशनल कोआपरेटिव डेवलपमेंट ऐंड वेयरहाउसिंग बोर्ड और सैंट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन एक ही मिनिस्ट्री अर्थात् मिनिस्टरी आफ़ फूड ऐंड एग्रीकलचर के ऐडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर यह दोनों इंटर-डिपेंडेंट बौडीज़ आ गई हैं। मैं समझता हूं कि सरकार का वेयरहाउसिंग कारपोरेशन्स को क़ायम करने का मक़सद मिडिलमैन के फ़ायदे को रोकना और किसानों को अधिक पैसा दिलाना है। इस का मक़सद यह है कि किसान को अधिक पैसा मिले और उस की ज़रूरत की चीज़ें उस के इर्द गिर्द मिल सके। इस के अलावा प्राइस कंट्रोल हो। इमरजेंसी के ज़माने में जैसे वार, बाढ़ के दौरान फूड डैफ़ीशिएंसी पर कंट्रोल हो सके और उस की प्राइसेज़ का कंट्रोल हो सके। इस तरह के अन्नागार बनाये जायें जहां कि अनाज साइंटिफिक, हैल्दी और बग़ैर उस को कोई नुकसान पहुंचे स्टोर किया जा सके और इमरजेंसी में कही भी किसी तरह गल्ले की कमी न पड़ सके। इस के अलावा किसानों को फर्टिलाइज़र्स, इम्प्लीमेंट्स वग़ैरह उन की ज़रूरत के मुताबिक़ मिल सकें। गुदामों की उचित व्यवस्था होने से हमारा लाखों टन गल्ला जो कि प्रतिवर्ष रैट्स, पैस्ट्स वग़ैरह के कारण ख़राब जाता है वह बचाया जा सकेगा। अन्न उत्पादकों को फरटलाइजर्स इम्प्लोमेंट्स मुहैया करने से अधिक अन्न उगाने में मदद मिलेगी और इस तरह देश में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ जायेगा।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

इस बिल को देखने से मालूम पड़ता है कि सैंट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन का एथोराइज्ड शेयर कैप्टिल २० करोड़ रुपये है। उस में जो असली प्रोड्यूसर है उस का शेयर सिर्फ १० परसेंट है। कोआपरेटिव्स का ३ परसेंट है और ट्रेडर्स या मर्चेंट्स का ३० परसेंट है। गवर्नमेंट का ५७ परसेंट है।

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री विश्राम प्रसाद]

असल में अब तक जो गल्ला स्टोर किया जाता था वह बनियों द्वारा खत्तियों में किया जाता था। अब सैंट्रल गवर्नमेंट ने स्टोरेज का काम यह कारपोरेशन स्थापित कर के अपने हाथ में लेना शुरू किया है। लेकिन बनियों और साहूकार इस के अंदर भी सब से ज्यादा घुस गये और देखने में आ रहा है कि बजाय फ़ायदा प्रोड्यूसर्स को मिलने के मिडिलमैन को अर्थात् बनियों को मिल रहा है और उन का शेयर इन कारपोरेशंस में काफ़ी अधिक हो गया है। स्टेट्स में प्रोड्यूसर्स का हिस्सा सिर्फ ८.१७० परसेंट है जबकि औरों का ६७.५७ परसेंट है। इस में प्रोड्यूसर्स ज्यादा होने चाहियें। यह ऐस्टिमेट्स कमेटी की रिपोर्ट है कि किसी किसी प्राविंस में प्रोड्यूसर का शेयर निल (Nil) और कहीं थोड़ा है जैसे कि उत्तर प्रदेश में १.२ परसेंट है। और ट्रेडर्स का ९८.७३, महाराष्ट्र में ७६ परसेंट। ज्यादा से ज्यादा ये लोग इस में घुसे हैं। जहां तक मैं समझता हूं, सरकार का जो एम इन वेयरहाउसिंग को खोलने का है, यह है कि इनका फायदा किसान को जाय। लेकिन जब इस तरह की बात हो जाती है तो समझ में नहीं आता है कि उन लोगों तक इस का फायदा कैसे पहुंच पायेगा। इस वास्ते इस ओर आप का ध्यान जाना चाहिये।

दूसरे प्लान में वेयरहाउसिस जो बनाये जाने वाले थे, वे सौ बनाये जाने वाले थे। लेकिन पचास बनाने का लक्ष्य रखा गया। स्टेट्स में २५० बनने थे। इस तरह से कुल ३०० बनने थे। लेकिन आखिर में जा कर के केवल सात ही बन सके। स्टेट्स में एक भी न बन सका। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हमारे पास छः लाख टन स्टोर करने की कैपेसिटी है। यह बड़ी खुशी की बात है। लेकिन हमें इस को नहीं भूलना चाहिये कि भारत में हम को वेयरहाउसिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज भी हमारे देश में हज़ारों लाखों टन गल्ला खराब हो जाता है। इस वेयरहाउसिंग की स्कीम के बारे में कोई दो रायें नहीं हो सकती हैं। मैं इस का समर्थन करता हूं। लेकिन इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि वेयरहाउसिस हर जगह पर बनें ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान उन में अपने गल्ले को स्टोर कर के रखने के लिए दे सकें।

मैं यह भी चाहता हूं कि सैंट्रल कारपोरेशन और स्टेट कारपोरेशंज़ में एक प्रकार की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिये और जो उन के आपस के डिफ्रेंसिस हैं वे दूर होने चाहियें। साथ ही साथ दूसरी बात यह है कि यह स्टोरेज एकामोडेशन ज्यादा से ज्यादा जगहों पर बनाई जा सके, इसके लिये यह जरूरी है कि उन में आपस में अंडरस्टैंडिंग हो।

३४ लोकल एडवाइज़री कमेटीज़ बननी थी लेकिन उन में से नौ ही कामयाब हुई हैं। मेरा सुझाव यह है कि ये लोकल एडवाइज़री कमेटीज़ ज्यादा से ज्यादा बनाई जानी चाहियें।

जहां तक स्टोरेज चार्जिज़ का सम्बन्ध है, जो कोआपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, उन से कम चार्ज होना चाहिये। साथ ही साथ उन को ज्यादा कर्ज़ मिलना चाहिये। जो सूद की दर है, वह भी कम होनी चाहिये।

मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि कोल्ड स्टोरेज के वेयरहाउसिस भी बनाये जायें। इस से किसान को लाभ होगा। आजकल होता यह है कि जिस वक्त आलू पैदा होता है तो जो काश्तकार है, उस को उस आलू का पांच रुपये मन के हिसाब से बनियों को बेच देना पड़ता है। वह बनिया उस आलू को कोल्ड स्टोरेज में रख देता है। लेकिन जब किसान को तीन चार महीने के बाद बोने के समय इसकी जरूरत पड़ती है, तो उस को वही आलू जो उस का अपना ही पैदा किया होता है २०–२२ रुपये मन खरीदना पड़ता है। इस तरह जो बनियों को कोल्ड स्टोरेज का चार्ज देना पड़ता है, वह केवल १५ रु० फ़ी मन होता है।

जो प्रोड्यूसर है, उस को आसानी से और ज्यादा से ज्यादा लेकिन कम से कम दर पर कर्ज़ मिलना चाहिये। यह जो वेयरहाउसिंस की स्कीम है यह १९५६ में लागू की गई थी। लेकिन आज तक भी बहुत सी ऐसी लोकेलिटीज़ हैं, जहां पर लोगों को मालूम तक नहीं है कि सैंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स ने वेयरहाउसिस चालू कर रखे हैं। बहुत कम किसानों को इस का पता है। मेरा सुझाव यह है कि इस को ज्यादा से ज्यादा पब्लिसिटी दी जानी चाहिये।

सिविल सप्लाइज़ डिपार्टमेंट का भी स्टोरेज होता है। यह भी सेंट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन या स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशंज़ के ज़रिये होना चाहिये।

मैं यह भी समझता हूं कि स्टोरेज में अनाज को प्रिज़र्व करने का जहां तक ताल्लुक है, वह इस तरह से किया जाना चाहिये कि गल्ला खराब न होने पाये, उस को नुक्सान न पहुंचने पाये। कभी कभी एसा भी सुनने में आता है कि फूड पायज़निंग हो गया है, गल्ले में ज़हर मिल गया है और इस की वजह से दो चार या दस मौतें हो गई हैं, या किसी हल्के में कुछ आदमी मर गये हैं। इस की भी आप को एहतियात बरतनी चाहियें।

जहां तक वेयरहाउसिस के कंस्ट्रक्शन का सम्बन्ध है, वे जल्दी से जल्दी बनाये जाने चाहियें। इस कंस्ट्रकशन के बारे में जो हमारी एस्टीमेट्स कमेटी है, उस ने कुछ कहा है, जिसे मैं आप को पढ़ कर सुना देना चाहता हूं। उस ने कहा है :—

> "चूंकि निगम ने निर्माण कार्य अब तक आरम्भ नहीं किया है और न निकट भविष्य में किये जाने की सम्भावना है और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने भी लक्ष्य के अनुसार काम नहीं किया है, समिति की राय में काम को देखते हुए एक उच्च कोटि के निर्माण इंजीनियर और उस के लिए कर्मचारियों का औचित्य नहीं है। वे सिफारिश करते हैं कि इस मामले पर गौर से विचार किया जाय और उचित बचत की जाय।

यह प्राक्कलन समिति के १९६०–६१ के प्रतिवेदन में से है।

जो इस के अन्दर सुझाव दिया गया है, उस पर मैं आशा करता हूं माननीय मंत्री जी ध्यान देंगे।

मैं अधिक न कह कर केवल यही कहुंगा कि जिस मकसद के लिये वेयरहाउसिंग कारपोरेशन आप ने बनाया है, इस का ज्यादा से ज्यादा फायदा किसानों को मिले इस की व्यवस्था आप को कर देनी चाहिये। ऐसा न हो कि जो बीच के लोग हैं वे ही इस का फायदा उठा जायें। बीच के लोग इस के फायदे में ज्यादा शेयरर नहीं होने चाहियें। जो मकसद है वह किसान का हित करना है, ऐसी व्यवस्था करना है जिस से किसान उत्साहित हो कर अधिक पैदावार कर सके। इस के लिये उस को स्टोरेज की सुविधा मिलनी चाहिये और उसी का ज्यादा से ज्यादा फायदा सोचा जाना चाहिये।

†**श्री मानसिंह पृ० पटेल** (मेहसाना) : दोनों मंत्रालयों को इकट्ठा कराने का सुझाव उचित नहीं है, क्योंकि उन के काम भिन्न हैं।

पिछले पांच या छः वर्षों में भांडागार के कार्य में संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है। अब दो स्वतंत्र निगमों की स्थापना से ऐसा कार्यक्रम बनाया जायेगा जिस से प्रत्येक नियमित मार्केट के सम्बन्ध में कम से कम एक भांण्डागार किसानों को उपलब्ध हो सकेगा।

वर्तमान स्थिति में भांडागार योजना का लाभ अधिकतर व्यापारी या कृषि उत्पादन में व्यापार करने वाले व्यक्ति उठाते हैं। किसानों को जो १५ या १६ मील से मार्किट को आते हैं अपनी

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मान सिंह पृ० पटेल]

वस्तुओं के संग्रह का अवसर नहीं मिल रहा है। इस के अतिरिक्त किराया इतना अधिक है कि वह इस सुविधा का आसानी से लाभ नहीं उठा सकता। परिणामतः उस के हितों की रक्षा नहीं हो रहीं हैं।

निगम के बोर्ड के संचालकों में किसानों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधियों के सम्बन्ध में एक विशेष उपबन्ध रखा जाय। यदि संभव हो तो निगमों में एक और प्रतिनिधि लाया जाय।

राज्य निगमों में केन्द्रीय भांडागार निगम के पांच प्रतिनिधि होते हैं और प्रबंध संचालक इस में से एक को नियुक्त करना चाहिये। केवल केन्द्रीय भांडागार निगम को अपने ही प्रतिनिधियों में से राज्य निगमों के प्रबन्ध संचालकों की नियुक्ति का अधिकार नहीं होना चाहिये। राज्य सरकारों द्वारा अपने मनोनीत व्यक्तियों में से एक को प्रबन्ध संचालक बनाने के सुझाव की स्वतंत्रता को एक विधान से अपवर्जित न किया जाये।

यदि राज्यों की राजधानियों में 'शीत भांडागार' की सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है तो वनस्पतियों को भी अधिसूचित वस्तु घोषित किया जाये। आशा है कि वर्तमान वर्ष में जो सुविधायें उपलब्ध हैं वे प्रति वर्ष बढ़ाई जायें।

†**श्री कृ० ल० मोरे** (हथकंगले): वर्तमान स्थिति में हम चाहते हैं कि किसान अधिक उत्पादन करें। इन परिस्थितियों में विधेयक एक सुखद विधान है तथा इस का स्वागत है।

भाण्डागार निगमों को अधिक प्रतिनिधि प्रकार की निकाय बनाया जाना चाहिये। इस से उन के कार्यक्षेत्र को बढ़ाया जाय जिस से उन में गरीब किसान को भी स्थान मिल सके। इस विचार से राज्य निगमों में 'शेयरों' के मूल्य कम किये जायें।

देहातों में गोदामों का जाल फैलाया जाय। ग्रामों के लोगों को भांडागार सुविधाओं का लाभ उठाने के लिये पर्याप्त अवसर मिलने चाहिएं।

†**श्री गौरी शंकर कक्कड़** (फतेहपुर) : इस विधेयक से उत्पादक की बजाय लाभ वस्तुतः 'स्काटिस्टों' और बड़े व्यापारियों को पहुंच रहा है।

इस विधान का बहुत स्वागत होता यदि निगमों को सौपे जाने वाले समस्त भाण्डागार विपणन् संस्थाओं को दे दिये जाते जिस से वास्तविक उत्पादकों को सुविधायें मिल सकतीं। एक बार ऋण को विपणन् से संबद्ध कर देने से भाण्डागार की पूर्ण सुविधा विपणन् संस्था के स्तर तक पहुंच जाती है। केवल तभी वास्तविक उपादक को सहायता मिल सकती है।

यह बात समझ में नहीं आती कि विधेयकों के उपबन्धों में प्रत्येक क्रम पर केवल मनोनीत व्यक्ति ही क्यों लिये गये हैं। केन्द्रीय तथा राज्य भाण्डागारों को पूर्णतः सरकारी व्यवसाय समझा जा रहा है।

श्रीमती लक्ष्मी बाई (विकाराबाद): डिप्टी स्पीकर साहब, यह जो बिल आया है वेयर हाउसिंग कारपोरेशन का, मैं इसका स्वागत करती हूं। लेकिन ये तमाम कारपोरेशन गरीब लोगों के लिये नहीं होते। कारपोरेशन तमाम बड़े लोगों के लिये होते हैं।

मेरे आन्ध्र प्रदेश में १४०० कोआपरेटिव सोसायटीज हैं और उन में १५ लाख लोगों की मेम्बर-शिप है और चार करोड़ रुपया उन का कैपीटल है, और गवर्नमेंट ने उन को १६ लाख रुपया लोन दिवा

†मूल अंग्रेजी में

है। पूरे हिन्दुस्तान में महाराष्ट्र में गवर्नमेंट कोआपरेटिव सोसाइटीज को बहुत मदद देती है जिस से गरीबों की मदद होती है। मेरे विचार से यह वेयर हाउसिंग अच्छी चीज है।

इस बिल के अनुसार स्टेटों में वेयर हाउसेज होंगे। इस के बारे में हमारे त्रिवेदी साह ब बहुत अच्छे ढंग से बोले हैं। मुझे भी वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के बारे में कुछ बातें कहनी हैं। ये जो बड़े बड़े गोदाम बनाये जाते हैं, इन में मालदार आदमी किसानों का माल खरीद कर रख देते हैं और रेंट देते हैं। इस के सिवा इन का और कुछ फायदा नहीं हैं ।

मैं किसानों के बारे में दो तीन बातें कहना चाहती हूं। किसान जब पैदा करता है तो उस के ६ महीने पहले से उस में पैसा लगाना होता है। अब चूंकि उन के पास पैसा होता नहीं है और किसान साहूकारों और बनियों वगैरह से कर्ज लेने पर विवश होते हैं तो होता यह है कि फसल कटते ही वह साहूकार लोग कर्जा चुकाने का तकाजा करते हैं और जबरदस्ती करते हैं जिस से कि किसान को लाचार हो कर अपनी फसल को जल्दी से बेचना पड़ता है। इस से फसल के दाम उन को कम मिलते हैं लेकिन वे उसे सस्ते पर बेचने पर मजबूर हो जाते हैं क्योंकि यह सहूकार और बनिये लोग उन के गल्ले पर बैठे जाते हैं ।

मेरी कांस्टीट्युएंसी में बहुत सा गन्ना और कैश क्रौप्स होती हैं। अब मिर्ची का भाव पहले १४ आने प्रति किलो था लेकिन वही मिर्ची मार्केट में आने के बाद दो, चार महीने बाद पहले उस का भाव २ रुपये किलो हुआ और अब तीन या साढ़े तीन रुपये किलो मिर्चों का भाव है। अब यह फायदा साहूकारों को जाता है। बिचौलिये माल खरीद कर स्टोर कर लेते हैं और फिर उस को धीरे धीरे मुनाफे पर बेचते हैं। किसान जो कि अन्न वगैरह उपजाते हैं उन के हाथ में फायदा नहीं जाता है क्योंकि एक तो उन पर कर्जे का तकाजा होता हैं और दूसरे रखने की समुचित व्यवस्था नहीं है इसलिये वे अपनी फैसलें सस्ते दामों पर बेचने पर मजबूर हो जाते हैं प्रोड्यूसर्स और कज्यूमर्स दोनों घाटे में रहते हैं और यह बिचौलिये बीच में मुनाफा हड़प जाते हैं।

चूंकि देश में संकट काल है इसलिये हमारे प्राइम मिनिस्टर का ध्यान भी इस ओर अभी गया हैं और उन्हों ने भी कहा है कि किसानों हो अधिक अन्न उपजाने के लिये सभी संभव सहायता व प्रोत्साहन दिया जाये। समय समय पर एग्रीकल्चर मिनिस्टरी वाले भी किसानों के हित करने की बात करते रहते हैं और कहते हैं कि उन की भलाई होनी चाहिये। आज यह भी कहा जा रहा है खेक अनाज में अनुचित मुनाफाखोरी न हो और उस के भाव इस संकट काल में न बढ़ने पायें। अब इस के लिये वह जरूरी है कि भावों को बढ़ने देने से रोकने के लिये वेयर हाउसेज होने चाहियें। मैं हाउस को बतलाना चाहती हूं कि मेरी कांस्टीट्टुएंसी के चार ताल्लुकों में चार गोदाम हैं और इस का फायदा शेयरहोल्डर्स (किसानों) को जाता है, बड़े लोगों को नहीं जाता है, मेरी समझ में यह काम अगर कोआपरेटिव सोसायटीज को सौंप दिया जाय तो ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि वेयरहाउसिंग कारपोरेशन में डाइरेक्टर्स वगैरह और दूसरे स्टाफ की तनख्वाओं आदि पर काफी पैसा खर्च आयेगा। इसलिए अगर आप किसानों का दरअस्ल भला करना चाहते हैं तो यह गुदाम वगैरह का काम कोआपरेटिव सोसाइटीज को दे दें और इस तरह डुप्लीकेशन होने से बचायें।

आज गांवों में किसानों के लिये समुचित गोदामों की व्यवस्था न होने के कारण उन का बहुत नुकसान होता है। गुड़ वह अपने पास घर में रख नहीं सकते क्योंकि बरसात में पानी में वह गल जायेगा और इस लिये उन्हें लाचार हो कर उस को मार्केट में जो भी दाम मिले उस पर बेचना पड़ता है और उस को कम पैसे मिलते हैं। आलू वगैरह के बारे में भी यही बात है। इसलिये मेरा कहना है कि वेयर-हाउसिंग कारपोरेशन बिल में जहां आप गुदामों की व्यवस्था कर रहे हैं वहां कोल्ड स्टोरेज का भी

[श्रीमती लक्ष्मीबाई]

प्राविजन रक्खें ताकि सब्जी, फल और फूल वगैरह खराब होने से बचाये जा सकें और उन में हिफाजत से रह सकें। फूलों की भी मार्केट में बहुत मांग रहती है। फूलों से इत्र वगैरह निकाला जाता है और हमारे हैदराबाद में फूल के बाजार में अच्छे दाम मिलते हैं। इसलिये इनके लिये भी कोल्ड स्टोरेज होने चाहियें। मैं स्वयं एक एग्रीकल्चरिस्ट हूं और मेरे गार्डन में जो फूल मैंने लगाये हैं उन की बिक्री से मुझे १००० रुपये मिले हैं। खाली व्हीट और चावल के रखने की हमें व्यवस्था नहीं करनी है अपितु अंडे, फिश, सब्जी और फूल भी हमें कोल्ड स्टोरेज में रखने चाहियें ताकि वे खराब न हो सकें। इस दिशा में हमारी मार्केटिंग कोआपरेटिव सोसाइटीज अच्छा काम कर रही हैं और उन को मदद दी जानी चाहिये अगर ऐसा किया जायेगा तो इस वेयरहाउसिंग कारपोरेशन के ऐडमिनिस्ट्रेशन आदि पर जो भारी खर्चा आयेगा वह बचाया जा सकता है।

मेरी स्टेट में किंग आफ दी फ्रूट्स मैंनगो होता है और हमारे आंध्र प्रदेश में ७०० किस्म के आम पैदा होते हैं। इस के अलावा हमारे यहां अंगूर, अनार, शरीफा और सीताफल भी खूब होता है लेकिन चूंकि स्टोरेज की उचित व्यवस्था नहीं है इस लिये उन को रक्खा नहीं जा सकता है और एकदम बिक्री के लिये बाजार में यह सारी चीजें आ जाती हैं और फलस्वरूप उन को अच्छे दाम नहीं मिल पाते हैं।

आप की रिपोर्ट में मैं ने पढ़ा कि पिछले साल हिन्दुस्तान में मैंनगोज का प्रोडक्शन १७७ मिलियन टन हुआ था जिस में से १७ मिलियन टन खराब हो गया और केवल १ मिलियन टन मैंनगोज ऐक्सपोर्ट हुए। अगर हमारे पास यह कोल्ड स्टोरेज की ठीक व्यवस्था रही होती तो यह वेस्टज न हुई होती और हम कहीं अधिक आम बाहर भेज सकते थे और हम को बाहर से काफी पैसा मिल सकता था जिस की कि इस संकट काल में देश को अत्याधिक आवश्यकता है। मेरा तो ख्याल है कि वेयरहाउसिंग कारपोरेशन में डाइरेक्टर्स वगैरह पर पैसा खर्च करने के बजाय कोआपरेटिव सोसायटीज को यह काम दिया जाय तो काम भी बन जायगा और पैसा भी ज्यादा खर्च न होगा।

फलों को प्रिजर्व करना बड़ा जरूरी होता है क्योंकि फलों से जैम, शरबत, रस और पिकिल्स वगैरह बनते हैं बीमारी के लिये यह हैल्दी गिजा होती है। और फ्रंट पर लड़ रहे जवानों के काम भी यह चीजें बहुत आती हैं। इसलिय इस के लिये भी कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था होनी चाहिये।

अभी परसों एग्रीकल्चर मिनिस्टरी की एक मीटिंग हुई थी। उस में बागबानी ज्यादा करने की बात कही गई थी। उस में कहा गया था कि किचन गार्डेन्स को प्रोत्साहन दिया जायेगा। मैं उसके बारे में यह कहना चाहती हूं कि बहनें इस सम्बन्ध में बहुत काम कर सकती हैं। आप वेयरहाउसिंग कारपोरेशन के जरिये या और किसी के जरिये गांवों से उपज लाने के लिये ट्रक्स की व्यवस्था करें अगर आप के पास कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिये अधिक पैसा नहीं है। अगर आप गुदाम ज्यादा नहीं बना सकते तो कम से कम इतना तो अवश्य करिये कि वहां ट्रक्स मुहय्या कर दें जो कि २०, २० और ४०,४० मील दूर स्थित गांवों से दिल्ली में किसान की पैदावार ला सकें। ऐसी व्यवस्था करने से गरीब किसानों को काफी मदद होगी। और इस से पैदा करने वाले और खाने वाले दोनों फायदे में रहेंगे।

मेरी आशंका है कि मौजूदा वेयरहाउसिंग कारपोरेशन का जैसा रूप है उस में बड़े बड़े लोगों को मुनाफा मिलेगा इसलिये मेरा निवेदन है कि इधर सरकार ध्यान दे और इस में ऐसा प्राविजन करे ताकि छोटे छोटे किसानों को भी फायदा मिल सके। बस और अधिक न कह कर मैं आप को धन्यवाद देती हूं कि आप ने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री दे० शि० पाटिल : (यवतमाल) : उपाध्यक्ष महोदय,

†श्री हरि विष्णु कामत : अब तो गणपूर्ति होनी चाहिये ।

†उपाध्यक्ष महोदय : सरकारी दल को गणपूर्ति रखनी चाहिये । गणपूर्ति की घंटी बचाई जायेगी श्री पाटिल अब बोलें ।

श्री दे० शि० पाटिल उपाध्यक्ष महोदय : सेंट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन और स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन्स बनाने के लिये यह जो वेयरहाउसिंग कारपोरेशन्स बिल आया है उस का मैं हृदय से समर्थन करता हूं । इस बिल से किसानों को फायदा पहुंचेगा और उनका आर्थिक स्तर सुधारा जायेगा । आज किसान की स्थिति कृषि उत्पाद की दृष्टि से बड़ी विषम है । उन की आर्थिक परिस्थित को यदि सुधारना हो तो यह आवश्यक को हो जाता है कि जो माल वह पैदा करें उस माल के उन को पूरे पूरे दाम मिलें । चूंकि इस बिल का उद्देश्य और इसके पीछे यही किसानों के हित की बात है इसलिये यह स्वागत योग्य है । यह बिल किसानों के लिये फायदेमन्द है । आज किसान की हालत बहुत खराब है । किसान जब वह अपने उत्पादित माल को हारवेस्ट से बाजार में ले जाता है तो उस को तो दाम कम मिलते हैं और सस्ते में उस को बेचना पड़ता है लेकिन जब वही माल बनियों और व्यापारियों के हाथ में आ जाता है तब उस के भाव बढ़ जाते हैं । यह सिलसिला कितने ही वर्षों से चल रहा है लेकिन उस में कोई सुधार नहीं पाया जाता है ।

इसलिये यही एक कदम है, यही एक बिल है, जिस से कृषि उत्पादक को पूरा भाव मिल सकता है । प्लानिंग कमीशन ने कृषक को यह आश्वासन दिया है कि वह जो माल उत्पादन करेगा, उस माल की मिनिमम प्राइस उस को दिलाई जायेगी । प्लानिंग कमीशन के उस आश्वासन को सरकार द्वारा आज तक पूरा नहीं किया गया है और कृषक को आज तक कृषि मूल्य नीति का फायदा नहीं मिला है, लेकिन इस बिल से उस को कुछ फायदा मिलने वाला है ।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कल ही हम ने जो डिफेंस आफ इंडिया बिल पास किया है उस में ऐग्रीकल्चरल को कंट्रोल और रैगुलेट किया गया है । इस वजह से गवर्नमेंट के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि कृषक जो माल पैदा करता है, उस माल की उस को पूरी कीमत मिलनी चाहिये, उस माल का जो कम से कम भाव है वह उस को मिलना चाहिये । अगर उस को पूरा भाव देना है, निर्धारित कृषि मूल्य नीति के अनुसार तो मार्केटिंग का काम ज्यादा से ज्यादा वेयर हाउसिंग के थ्रू होना चाहिये ।

काफी माननीय सदस्यों ने कहा है कि वेयर हाउसज हर जगह पर होने चाहियें, लेकिन मैं समझता हूं कि वेयर हाउसेज हर जगह नहीं हो सकते । जहां भी वेयरहाउस बनाया जायेगा, वहां उसकी प्रोटैक्शन होनी चाहिये । इसलिये कम से कम जहां पर पुलिस स्टेशन है, वहां पर वेयर हाउस होना चाहिये । मैं सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि जहां पर कम्युनिटी डेवेलपमेंट ब्लाक का सेन्टर है, यानी पंचायत समिति का कार्यालय है, जहां पर पुलिस स्टेशन है और जहां पर मार्केटिंग सेन्टर भी है, वहां पर स्टेट की तरफ से एक वेयरहाउस होना चाहिये ।

वेयरहाउस में माल रखने के जो रेट्स हैं, उस का जो किराया है, वह बहुत ज्यादा है । उसको कम करना चाहिये, ताकि किसान को लाभ पहुंचे । माल रखने के बाद जो पैसा दिया जाता है, वह बहुत कम दिया जाता है और खास कर किसान को उस का लाभ नहीं होता है । वास्तव में वेयरहाउसिंग का काम अभी तक किसान तक पहुंचा ही नहीं है । इस सदन में किसान के नाम पर बहुत सी बातें कही जाती हैं, बहुत से कानून आदि बनाये जाते हैं, लेकिन किसान को उन का कोई फायदा नहीं होता है । इसी तरह वेयरहाउसिंग कारपोरेशन का कोई फायदा कृषक को नही मिलता है । आज कृषक की

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दे० शि० पाटिल]

व्याख्या यह हैं: ही हू होल्ड्स लैंड, अर्थात् जिस के पास जमीन है, उस को कृषक माना जाता है। इसलिये जो बड़े से बड़े कृषक हैं, उनको उस का फायदा होता है, व्यापारियों और दूसरे बड़े बड़े लोगों को उस का फायदा होता है। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा वेयरहाउसिज देहात तक जायें। आज की परिस्थिति यह हैं कि कृषक अपना माल घर में नहीं रख सकता, क्योंकि वहां पर उस के पास जगह नहीं रहती और उस की स्थगन शक्ति भी नहीं है इसलिये वेयरहाउसिज का बहुत बड़ा महत्व है। वह किसानों को एक निर्वाचित सीमा तक स्थगन प्रदान कर सकती है।

महाराष्ट्र में को-आपरेटिव मूवमेंट बहुत अच्छी तरह से चली है और वेयरहाउसिज़ का काम भी बहुत अच्छा है। इस बिल की क्लाज़ २०(२) में कहा गया है :

"डाइरेक्टरों के बोर्ड का सभापति राज्य सरकार नियुक्त करेगी"

मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट की तरफ़ से इस प्रकार चेयरमैन का एपांइंट या नामीनेट किया जाना उचित नहीं है। आज आवश्यकता इस बात की है कि नामीनेशन की प्रथा को आहिस्ता आहिस्ता कम किया जाये।

इन शब्दों के साथ मैं पहले वाचन का अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री रा० गि० दुबे (बाजापुर–उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का तहे-दिल से स्वागत करता हूं, लेकिन इस किस्म के जो बिल हाउस के सामने आते हैं, मेरी समझ में गवर्नमेंट को चाहिए कि वह इस विषय में एक ओवर-आल पर्सपेक्टिव अपने सामने रखे और उस के अनुसार ही बिल लाये। हम ने सोशलिज्म, समाजवाद का आदर्श अपने सामने रखा है और हम चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द समाजवाद को इस देश में कायम करें। लेकिन मेरा ख़याल यह है कि चूंकि गवर्नमेंट एक हाल्टिंग एटिट्यूड रखती है और एक पीसमील तरीके से अलग अलग लेजिस्लेशन्ज़ को लाया जाता है, इस लिए उन का जो नक्शा देश के सामने रहना चाहिए, वह नहीं रहता है और उन का उद्देश्य भी पूरा नहीं होता है।

जैसा कि प्रचलित अर्थ में कहा जाता है, हमारी एक कैपिटलिस्ट इकानोमी है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम सोशलिस्ट इकानोमी की तरफ़ आगे बढ़ें। वह तब ही हो सकता है, जब कि हम एक शास्त्रीय दृष्टिकोण रख कर अपने बिल्ज़ और मेजर्ज़ आदि लायें और उन को क्रियान्वित करें। इस दृष्टि से वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन के बारे में गवर्नमेंट ने जो भी कदम उठाये हैं, वे सराहनीय हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस काम को व्यापक बनाया जाये।

अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि जो ज़मीन होल्ड करता है, वही कृषक है। मैं उन को याद दिलाऊंगा कि इस के बारे में कांग्रेस की डेफ़िनीशन अब चेंज हो रही है। अब प्रापर्टी ओनरशिप की तरफ़ नहीं देखा जाता है। जैसा कि विनोबा जी ने कहा है, "कस्तो त्याची ज़मीन:", यानी जो ज़मीन टिल करता है, उस को महत्व देना चाहिए। जहां तक मेरा तजुर्बा है, ज़िलों और तालुकों में गोडाउन्ज़ की कमी है। मैं यह अनुभव करता हूं कि वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन के पास इतने फ़ाइनेंसिज़ नहीं हैं कि हर तहसील और तालुके में वेयरहाउस बनाये जा सकें, लेकिन मेरा ख़याल है कि शायद हर सूबे और प्रदेश में इस बात का अनभव होगा कि हमारे देहात और गांवों में किसान लोग पुराने ढंग का एक स्टोर बनाते हैं। वह अंडरग्राउंड स्टोरेज होता है और जहां तक मेरा ख़याल है, वह हाइजिनीकली और दूसरी दृष्टि से अच्छा रहता है। मराठी में उस को पेव कहते हैं, हिन्दी में क्या कहते हैं, यह मुझे मालूम नहीं है। अंडरग्राउंड स्टो रेज की

यह स्कीम इकानोमिक और चीप है और इस लिए गवर्नमेंट तहसीलों में उस को जारी कर सकती है ।

हम देखते हैं कि वेयरहाउसिंग स्कीम से अक्सर साहूकार लोगों और रिचर स्ट्रैटा आफ़ पेज़ेन्ट्स को लाभ होता है । सरकार का मकसद चाहे कुछ भी हो, लेकिन होता वही है, जो कि मैं ने बताया है । असल में ग़रीब किसानों और लोअर स्ट्रेटा आफ़ पेज़ेन्ट्स को उस का लाभ होना चाहिए । लेकिन ग़रीब किसानों को अपना माल लाने के लिए जो सहूलियत होनी चाहिए, वह नहीं होती है । ट्रांस्पोर्ट डिफ़ीकल्टीज़ हैं और इस के अलावा सीज़न पर वे प्राइसिज़ नहीं रहतीं । इस लिए सिर्फ़ वेयरसाउसिंग कार्पोरेशन बनाने से ही काम नहीं चलेगा । बल्कि प्राडक्शन, डिस्ट्रिब्यूशन और ट्रांस्पोर्ट का एक पर्सपेक्टिव रख कर एक सिंडीकेट बनाई जाये, जिसके ज़रिये इन सभी फंक्शन्ज़ को को-आर्डिनेट किया जा । तभी हम इस काम की बुनियाद डाल सकते हैं ।

इस बिल के अनुसार सेंट्रल वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन के छः डायरेक्टर्ज़ को सेंट्रल गवर्नमेंट नियुक्त करेगी, स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन में पांच डायरेक्टर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और पांच सेंट्रल वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन के द्वारा नामीनेट किये जायेंगे, इत्यादि । मैं देखता हूं कि अक्सर यह होता है—मैं यह नहीं कहता कि इन्टेन्शनली ऐसा किया जाता है—कि किसान और लेबर के नाम से जो बहुत सी कमेटियां बनती हैं, उन को किसान और लेबर के हालात और समस्या ों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता है । आख़िर इस बात की क्या ज़रूरत है कि जो किसान इस के डायरेक्टर बनाये जायें, वे इंगलिश के ग्रैजुएट हों ? जो असली किसान हैं, जो खेती की प्राबलम्ज़ को जानते हैं, उन को भी इसमें नामीनेट करना चाहिए, भले ही वे आधुनिक अर्थ में एडूकेटिड हों या न हों । उस से एक रीयलिज्म एक वास्तविकतावाद की भावना, इस कार्पोरेशन के काम में आयगी । हम किसानों के नाम से बहुत से काम करते हैं, लेकिन किसानों को उन के बारे में मालूम भी नहीं होता है । इसलिए ग़रीब किसानों का रिप्रेज़ेन्टशन भी होना चाहिए । इस के अलावा फ़ाइनेंसिज़ का भी प्राबलम है, जिस के बारे में कई माननीय सदस्यों ने कहा है ।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि आईन्दा चल कर इस बिल को एक विशाल बुनियाद के ऊपर लाने की कोशिश की जाये ।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ ज्यादा समय न लेते हुए मैं दो चार सजेस्टिन्ज़ रखना चाहता हूं । जैसा कि माननीय सदस्य, चौधरी लहरी सिंह, ने कहा है, किसान एरियाज़ में ज्यादा वेयरहाउसिज़ होने चाहिएं । हमारे क्षेत्र में तो दस दस मील के इलाके में वेयरहाउसिज़ नहीं हैं । जैसा कि विशेषज्ञों, स्पेशलिस्ट्स, ने कहा है, सोलह फ़ीसदी ग़ल्ला ऐसा है, जिस को चूहे ख़राब कर देते हैं । गोया आठवां हिस्सा ऐसा है हमारी फसल का जिसे चूहे खराब कर देते हैं । तो इसके लिये मैं मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं कि वह हमारे लिये यह बिल लाये । लेकिन इस में काश्तकार की दिक्कत को समझा नहीं गया है । हमारी दिक्कत यह है कि कोआपरेटिव जो इस वक्त है वह हम से २५ परसेन्ट इंटरेस्ट लेती है । जो गल्ला बोने के लिये हम दस मन गेहूं लेते हैं छः महीने बाद मुझे उस के बदले में १२।। मन वापस करना पड़ता है क्योंकि हम २५ फी सदी सूद देते हैं । गांवों में जो हमारा बनिया होता था, लाला, वह १ रु० सैकड़ा सूद पर किसान को रुपया देता था । वह बेचारा भगा दिया गया, जिसके लिये आप कहते हैं कि खून चूसता था । कोआपरेटिव जो हम से २५ फी सदी सूद लेती है उस का कोई इलाज नहीं है । हम लोग छः महीनों में २५ फी सदी सूद देते हैं, और उसी गवर्नमेंट ने किरलोस्कर को जो ३ करोड़ का कर्जा दिया है वह ८।। आने से भी कम सूद पर दिया गया है । गोया किसान २५ फी सदी देता है और मिल मालिक या सरमायदार ८।। आ० फीसदी सूद देता है । इस लिय हमारी इस दिक्कत को समझा जाय ।

[श्री यशपाल सिंह]

इस में जो डाइरेक्टर्स होंगे वे पब्लिक के एलेक्टेड हों न ।क गवर्नमेंट के नामिनेटेड हों क्योंकि जो गवर्नमेंट के नामिनेटेड होंगे वह सरकार के इंटरेस्ट को सर्व करेंगे और जो हमारे होंगे वह हमारे इंटरेस्ट का खयाल रखेंगे ।

यह तो आप ने किया लेकिन हमारी दिक्कतों का खयाल जरूर आपको रखना चाहिए । जब तक किसानों का गल्ला उस में आता है तब तक कोई होर्डर या व्यापारी उस में अपना गल्ला जमा न कर सके, वह सिर्फ किसान के लिये होना चाहिये । क्योंकि होता ऐसा है कि मान लीजिय मेरी काश्त ५०० मन की है, लेकिन हो सकता है कोई सरमायदार १०,००० मन गल्ला पहले से ला कर वहां जमा कर दे । इसलिये मैं चाहता हूं कि किसान को फर्स्ट प्रायारिटी, टाप प्रायारिटी, दी जाय ।

इस के अलावा इस में सब से बड़ी बात यह है कि किसान के लिये, जैसा कि हमारे श्री लहरी सिंह ने कहा, बीच में कोई सिक्योरिटी जरूर होनी चाहिए । मान लीजिये हमारा ५०० मन गहूं जमा है । ऐसी हालत में मुझे २ फी सदी या २।। फी सदी पर स्टेट बैंक आफ इंडिया से रुपया जरूर मिलना चाहिए जिस में कि मैं अपने बच्चों की तालीम, लड़के की शादी और दूसरे कामों को निभा सकूं ।

यह वेयरहाउसिंग कारपोरेशन जो है वह पब्लिक के हाथ में होना चाहिए न कि गवर्नमेंट के हाथ में । हमारे साथ दिक्कत यह है कि पहले तो गेहूं बोने में आबपाशी का ठीक से इन्तजाम नहीं होता । फिर हम को फर्टिलाइजर दिया गया है वह इतना लगा दिया गया है कि वह हम को सूट नहीं करता है । जिन इलाकों में पानी का इन्तजाम नहीं है वहां फर्टिलाइजर दे दिया जाय तो उससे नुक्सान होता है । फर्टिलाइजर का देना ऐसी जगहों में देना कानूनन बन्द किया जाय क्योंकि जहां पानी का इन्तजाम नहीं है वहां फर्टिलाइजर हमारी जमीन को सुखा देगा और हमारी फस्लें खराब होती चली जायेंगी ।

इन अल्फाज़ के साथ मैं यही दो तीन सुझाव देना चाहता हूं कि डाइरेक्टर्स पलिब्क से चुने होने चाहियें, दूसरे जब तक किसान अपना गल्ला ले कर आता रहे तब तक होर्डर को यह मौका न दिया जाय, नान ऐग्रिकल्चरिस्ट को यह मौका न दिया जाय, कि वह वहां अपना गल्ला जमा कर सके । तीसरी बात यह है कि सिक्योरिटी के केसिस पर मुझे बीच में कम सूद पर रुपया मिलना चाहिये । फर्स्ट प्रायारिटी किसान को दी जाय, और कोआपरेटिव से उस को जो २५ फी सदी सूद पर कर्जा लेना पड़ता है उस के सूद को इतना कम किया जाय कि वह १।। या २ परसेन्ट रह जाय ।

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विधेयक में जहां तक उस के उद्देश्यों का प्रश्न है, मैं उस का स्वागत करता हूं लेकिन अगर इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये जो वास्तविक कदम उठाये जाने चाहियें वे न उठाये गये तो फिर केवल उद्देश्य मात्र से ही उस अभीष्ट की प्राप्ति नहीं हो सकती । इस सरकार ने समाजवादी समाज की रचना का व्रत लिया है और पिछले कंई वर्षों से इसके ऊपर वह ज्यादा से ज्यादा हल्ला मचा रही है, लेकिन अगर हम उस की कार्यविधियों को देखें तो उस से यही नतीजा निकलेगा कि अब तक समाजवादी समाज की रचना के नाम पर उस ने पूंजीवाद का किला खड़ा किया है ।

आज इस में जो व्यवस्था की गई है वह सहकारिता के ऊपर जोर देती है । जब भी कहीं कारपोरेशन या निगम का नाम आता है तो वह किसी भी समझदार आदमी के दिमाग

में सहकारिता की गूंज उठती है । लेकिन अगर हम निगम के अन्तर्गत जो चीज़ें हैं उन के गठन के ऊपर जाते हैं तो उस से पता चलता है कि वह सहकारिता नहीं सरकारिता है । उस में हम को हर जगह सरकारीपन नजर आता है । आप गोदाम खोलेंगे । किस लिये ? खेतिहर लोगों की उपज को रखने के लिये । आज खेतिहर इस देश में कौन है ? छोटे लोग जो गांवों में बसते हैं । लेकिन आज तक इस तरह के वेअरहाउसेज गांवों में नहीं खुले । वे बड़े बड़े शहरों में ही खोले जा रहे हैं जिन का फायदा कुछ बड़े खेतिहर और अनाज के व्यापारी उठाते हैं । वह फायदा साधारण किसानों को नहीं मिल रहा है । वैसे तो जहां तक इस वेअरहाउसिंग कारपोरेशन का प्रश्न है, इस का महत्व राज्य स्तर पर ज्यादा है, और अगर वह राज्य स्तर से जिला स्तर पर और तहसील स्तर पर ले जाया जाता तो गांव के किसानों का ज्यादा से ज्यादा फायदा होता, लेकिन इस विधेयक के अन्तर्गत वैसी व्यवस्था नहीं है । इस के अनुसार राज्य स्तर पर ही इस की आवश्यकता है । आज जो राज्य स्तर पर उस के निर्माण की बात है वह उस के महत्व को समाप्त कर देती है । इस विधेयक में वह व्यवस्था है कि राज्य स्तर पर जब वेअरहाउसिंग कारपोरेशन की स्थापना की जायेगी तो उन को केन्द्रीय सरकार से इजाजत लेनी होगी । जब तक केन्द्रीय सरकार इजाजत नहीं देती वह उस की स्थापना नहीं कर सकते । यह बड़ी आसानी से कहा जा सकता है कि केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय वेअरहाउसिंग कारपोरेशन उस के रास्ते में नहीं आयेंगे और उन को शीघ्र से शीघ्र इजाजत दे देंगे, लेकिन जैसे लालफीताशाही और नौकरशाही में चीज़ें चलती हैं उस में यह फाइल एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से तीसरी जगह दौड़ती रहती हैं, उस में काफी समय लग जाता है, और वही इस के साथ भी होगा । इस लिये अगर आप चाहते हैं कि जो इस विधेयक का सही मक़सद है, गरीब किसानों को फायदा पहुंचाने का, वह पूरा हो, तो इस की रूपरेखा में जबर्दस्त परिवर्तन करने की आवश्यकता है । राज्यों को इस की छूट देनी चाहिये, उस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिये । जो केन्द्रीय कारपोरेशन होगा उस के अधिकार कम से कम होने चाहियें । लेकिन इस में इस चीज पर ज्यादा जोर नहीं दिया गया है ।

तीसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं वह यह कि जैसा मैंने सरकारीकरण के सम्बन्ध में कहा, उस की ओर ध्यान खींचना चाहूंगा । इस में जहां तक यह लिखा गया है कि कारपोरेशन में बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स होगा । उस से यह साफ जाहिर होता है कि छः डाइरेक्टर्स जो होंगे वे केन्द्रीय सरकार द्वारा नामजद किये जायेंगे । इस के बाद छः पर ही अन्त नहीं है । आगे जाइये तो यह है :

"१ डाइरेक्टर राज्य बैंक द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा"

इसी तरह से और आगे जा कर लिखा है :

"१. दूसरी अनुसूचित बैंक द्वारा डाइरेक्टर का निर्वाचन होगा"

११, ११ डाइरेक्टर्स होंगे उन में से ८ आदमी सरकार के होंगे । (एफ) में दिया है :

"१. डाइरेक्टर बीमा कम्पनियों, विनियोजन न्यास और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा चुना जाएगा ।"

फिर (जी) में दिया हुआ है कि जो मैनेजिंग डाइरेक्टर होगा उस की नियुक्ति सरकार द्वारा की जायेगी । इस को जो पूरा गठन है वह ऐसा है कि बिल्कुल सरकारीकरण होगा, और उस से सरकार के दिमाग की दशा का पता चलता है । जिस तरह हम ने पिछली बार एक एक्ट पास किया उसी तरह से इस में भी यही चीज करते हैं और यही चीज हमेशा सरकार के दिमाग में नाचती रहती है कि किसी तरह से सरकारीकरण हो । उसे सरकारी कर्मचारियों पर ज्यादा भरोसा

[श्री राम सेवक यादव]

है, जनता के सहयोग पर, जन प्रतिनिधियों पर उस का कोई ऐतबार नहीं है। लेकिन मैं बहुत विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे मतदाता की जनतांत्रिक प्रणाली मजबूत है। अगर समाजवादी समाज की रचना चली तो हमें जन सहयोग लेना होगा। अगर केवल सरकारी अफसरों और नौकरों को, अपनी तरह के आदमियों को ही रक्खेंगे तो यह कोई अच्छी चीज नहीं होगी। जहां तक सरकारी नौकरों का सवाल है, मैं उन्हें बड़ी इज्जत की नजरों से देखता हूं, लेकिन ऐसी भी मिसालें हैं कि उन लोगों ने बहुत निराश किया। अभी हाल ही की मिसाल आप को बतलाऊं। तेजपुर में क्या हुआ? तेजपुर का कलेक्टर जनता को मुसीबत में छोड़ कर भाग आया। पता नहीं कि बहुत से लोगों को जला दिया गया या लूट लिया गया। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को जेल में रखना चाहिये, सजा होनी चाहिये उन को। तो यह स्थिति है।

इस में एक चीज हम को खटकती है और वह यह कि ऐसे अधिकारी शायद इस लिये जा रहे हैं कि उन का राजनीतिक उपयोग हो। राजनीति का मतलब यह है कि जो सत्तारूढ़ दल है वह अपनी पसन्द के आदमियों को अगर यहां न ला सके, जिन को मंत्री इत्यादि बनाया जा सके, तो उन को यहां पर कहीं न कहीं रख दिया जाय। इस विधेयक में यह चीज है कि जो वाइस चेअरमैन होगा या जो मैनेजिंग डाइरेक्टर होगा उन को सरकार नियुक्त करेगी। उनको क्या तन्ख्वाह मिलेगी, क्या भत्ता मिलेगा, यह भी सरकार तय करेगी। ऐसे भी वेतन और भत्ते हो सकते हैं जिन वेतनों और भत्तों का बोझ ढोने में कारपोरेशन को इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा कि हो सकता है कि निगम अपने यहां जो सामान रक्खे उस को उस का रेट कुछ बढ़ाना पड़े। और जब उसकी इतनी भारी रेट हो जाएगी तो हम छोटे किसानों को फायदा नहीं पहुंचा सकेंगे।

इसी तरह से जो स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन बनेंगे उनमें तो अलिफ से ये तक पूरा सरकारीकरण होगा, उनमें तो जन प्रतिनिधियों का कहीं नाम नहीं होगा।

आपका उद्देश्य अच्छा है, लेकिन अगर आप उस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसी के लायक आपको इस विधेयक को संशोधन करके बनाना होगा। तभी उस उद्देश्य की प्राप्ति हो सकेगी।

†**श्री अ० म० थामस**: भाण्डागार कार्यक्रम के सम्बन्ध में हुई प्रगति असाधारण नहीं है, परन्तु कुछ वर्षों में हुई प्रगति संतोषजनक है। वर्ष १९६१ में केन्द्रीय भाण्डागार निगम का लाभ उस से पहले वर्ष की तुलना में लगभग दुगुना हो गया है। १९६० का लाभ उसे पहले वर्ष की तुलना में लगभग दुगना था। आशा है कि १९६२ में १९६१ से दुगना लाभ होगा। मंत्रालय इतनी प्रगति से सन्तुष्ट नहीं है और इस दिशा में अधिक प्रगति की कोशिश कर रहा है।

सदस्यों ने जो आलोचना की है मैं उस से सहमत नहीं हूं। उन्होंने कहा है कि केन्द्रीय से भाण्डागार निगम और राज्य भाण्डागार निगमों को किसानों की सभी बीमारियों के लिए दवाई समझी जाती है। भाण्डागार निगम किसानों की समस्त कठिनाइयों का हल नहीं है। उनका प्रयोजन केवल ऋण प्राप्त करने की उन की सहायता करना है। सरकारी क्षेत्र द्वारा ऋणों के रूप में बहुत बड़ी धन राशि दी जा रही है। १९६०-६१ की सरकारी क्षेत्र में लगभग २०८ करोड़

---

†मूल अंग्रेजी में

रुपए का ऋण दिया गया। कुछ वर्ष पहले यह लगभग ६५ करोड़ रूपए था। कई विपणन समितियां काम कर रही है। उन्हों ने १७४ करोड़ रुपए का लेन देन किया है।

विभिन्न सहकारी विपणन समितियों के पास इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग ४००० गोदाम हैं और ६०० गोदाम किराए पर लिए गए हैं। तृतीय योजना में १५००० गोदामों को लेने का लक्ष्य है। केन्द्रीय भाण्डागार निगमें उन संस्थाओं का एक अंग है जो कि किसानों की सहायता करती हैं। केन्द्रीय भाण्डागार निगम ने गत वर्ष भाण्डागार प्रतियों पर ५ करोड़ रुपए दिए जब कि १९५९–६० में प्राप्तियां केवल २.८६ करोड़ रुपए थीं।

केन्द्रीय भाण्डागार निगम का लक्ष्य तीसरी योजना के अन्त तक भाण्डागारों के निर्माण के लिए ५५ केन्द्रों के लिए स्थान अर्जित करना है। सितम्बर, १९६२ तक ४७ केन्द्रों पर स्थान अर्जित करने के लिए ४७ अर्जियां दी गई थीं। २२ केन्द्र प्राप्त किए जा चुके हैं। ५५ केन्द्रों के लक्ष्य की पूर्ति के लिए तृतीय योजना की शेष तीन वर्षों में ३३ और केन्द्र लेने की कोशिश की जाएगी। ४३ केन्द्रों में भाण्डागार बनाने के लक्ष्य भी इस विशेष शीत कोठार भी सम्मिलित हैं। सरकार अधिक से अधिक शीत कठोर बनाने का प्रयत्न करेगी।

८७ वस्तुओं को भाण्डागार सुविधा दी जा रही है और अधिक वस्तुयें शामिल करने के लिये शक्तियां की गई हैं।

मूल्यों को सहायता देने के मामले में भाण्डागार एक महत्वपूर्ण पहलू था। और जब केन्द्रीय भाण्डागार निगम से सहायता मांगी गई, हम उनकी सहायता करने के लिए तैयार थे। उससे छोटे पटसन के छोटे उत्पादकों अप्रत्यक्ष रूप में सहायता मिलेगी।

मेरे मित्र श्री सर्राफ ने कहा कि पटसन और चाय को गोदामों में रखने की प्रबन्ध की समस्या के थोड़े से भाग का भी हल नहीं होता है। यद्यपि यह ठीक है कि अभी थोड़ी सी वस्तुओं को लिया गया है परन्तु मूल्य में सहायता की किसी भी योजना को सफल बनाने की लिये वह पर्याप्त है। इस बात से कि सरकार खरीदने के लिए और कीमत सहायता देने के लिए तैयार होगी और इस घोषणा से कि वस्तुओं का ठीक मूल्य स्तर रखने की कोशिश की जाती है मूल्यों में काफी सहायता मिलेगी यद्यपि सरकार खाद्यान्न या पटसन या चाय बिल्कुल न खरीदे। बहुत राशि खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी, परन्तु यदि सरकार खरीदने के लिए तैयार होगी इस से अप्रत्यक्ष रूप से बाजार को सहायता मिलेगी।

यद्यपि हम बहुत बड़ी राशियों का लेन देन नहीं करते, परन्तु इस बात से ही कि राज्य व्यापार निगम या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित किसी संस्था द्वारा खरीदी गई मात्रा का भाण्डागार करने की व्यवस्था की जाएगी, उन वस्तुओं को आवश्यक मूल्य सहायता मिलेगी।

मेरा विचार है कि श्री गुह और श्री त्यागी ने भी कहा था कि हमें जूट और चाय पर अपना धन नष्ट नहीं करना चाहिये जब कि अनेक वस्तुयें ऐसी हैं जिनसे किसानों को बड़ी संख्या में लाभ होगा। मैं सभा को आश्वासन दे दूं कि संसाधनों के अभाव के कारण इस योजना को हानि नहीं होगी। यदि हम जूट और चाय के लिए व्यवस्था करते हैं, तो उससे भर कर रखने या अन्य वस्तुओं को भरकर रखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

यह भी कहा गया था कि व्यापार को लाभ पहुंच रहा है। यह सच है कि उपलब्ध भाण्डागार स्थान का पर्याप्त लाभ व्यापार ले रहा है। परन्तु, यह किस की गलती है। यह इस कारण नहीं है कि हम ने किसानों या उत्पादकों को छोड़ कर व्यापार को अधिक महत्व दिया है। वास्तव में, हम तो चाहते हैं कि किसान या उनकी सहकारी समितियां आगे आयें और आपने भाण्डागार बनाय।

[श्री अ० म० थामस]

भाण्डागारण की यह योजना नई है और हमें इसे लोकप्रिय बनाना है। इस बारे में मैं इस सभा के सभी माननीय सदस्यों का सहयोग चाहता हूं । जब भी वे भ्रमण के लिए जायें कृषकों को बतायें कि किसानों को अब अपनी फसल को एकदम नीचे मूल्य पर न बेचना कैसे संभव है । हम सब को जाकर किसानों से यह अवश्य कहना चाहिये कि "अब सरकार तुम्हारे स्टाक की देखभाल करेगी, तुम्हें केन्द्रीय तथा राज्य भाण्डागार निगम के गोदामों में अत्याधिक वैज्ञानिक भाण्डागार सुविधा प्राप्त होगी । इतना ही नहीं, अपितु तुम गोदाम से रसीद लेकर राज्य बैंक या किस अन्य अनुसूचित बैंक में जाते हो, तो तुम्हें धन भी मिल सकता है । अतः इस योजना से तुम्हारी वित्तीय आवश्यकता भी पूरी होगी ।" यदि ग्रामवासियों को इस प्रकार लाभ समझाये जायें तो वे उन्हें पसन्द आयेंगे और वे भाण्डागारों में अपने उत्पाद रखेंगे । दूसरी ओर, भाण्डागार निगम सरकारी भाषा और प्रादेशिक भाषाओं में विभिन्न पुस्तिकायें तैयार कर रहा है ताकि यह योजना लोकप्रिय बना सके ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या कोई न्यूनतम सीमा है ?

†**श्री अ० म० थामस** : नहीं ।

श्री गुह ने कहा था कि भाण्डागारों के भाड़े के मामले में किसानों और व्यापारियों में अन्तर करना उचित है । यथासंभव हम इन दोनों में अन्तर रख रहे हैं । उदाहरणार्थ, सहकारी समितियों को भाण्डागारण भाड़े में १६ प्रतिशत रियायत मिलती है ।

एक माननीय सदस्य ने शिकायत की थी कि भाण्डागारण भाड़ा बहुत अधिक है। मेरा ख्याल है कि उन्होंने यह आरोप लगाने से पहिले उचित पूछ ताछ नहीं की या संभव है कि उन्हें ठीक सूचना न दी गई। मैं समझता हूं कि भाड़ा २½ मन के तक बूरे के लिए १८ नये पैसे प्रति मास है। मैं नहीं समझता कि यह अधिक किराया है। फिर हमें यह भी जानना चाहिये कि निगम एक वाणिज्यिक उपक्रम के रूप में काम करता है। इसमें ४० प्रतिशत अंश पूंजी केन्द्रीय सरकार की है। मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य आजकल हो रही हानि को बढ़ाने के पक्ष में है।

दूसरी बात यह कही गई थी कि सरकार भाण्डागार निगम का नियन्त्रण सहकारी विकास बोर्ड से अलग नहीं करना चाहिये और इस के लिए कोई अलग बोर्ड या विधान नहीं होना चाहिये। कृषि उत्पादों को बढ़ाने के लिए खाद, उर्वरक, कृषि औजारों तथा अन्य वस्तुओं के संभरण के लिए सहकारी समितियों को वित्त देने के लिए राज्य सरकारों को धन देना शामिल है। अतः, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के कृत्य अनेक और व्यापक है। यहां हमारा उद्देश्य सीमित हैं, अर्थात् भाण्डागारण सुविधा देना और ऋण देना है। यह अच्छा है कि दोनों संगठन अलग रखे जायें ताकि केन्द्रीय भाण्डागार निगम, किसी अन्य निगम के अधीन हुए बिना, अपने ही रूप में विकसित हो सके और अपने प्रबन्ध में अनेक भाण्डागारों पर अपना पूरा ध्यान दे सके ।

विचार यह नहीं है कि इनको इस प्रकार अलग किया जाये कि इन दोनों संस्थाओं में आगे कोई सम्पर्क ही न रहे। केन्द्रीय भाण्डागार निगम में सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय मैंने उन कारणों का भी उल्लेख किया था जिनके फलस्वरूप सरकार को

†मूल अंग्रेजी में

प्राक्कलन समिति के मत से भिन्न मत लेना पड़ा। सहकारी आन्दोलन अब ऐसे स्तर पर पहुँच गया है कि यह उचित नहीं है भाण्डागारण का संबंध सहकारी आन्दोलन से किया जाये। यह आवश्यक है कि हम इस योजना को आगे बढ़ाने में सहकारी आन्दोलन से सहायता लें। हमने अधिनियम में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के उद्देश्य के बारे में कहा है कि निगम का उद्देश्य :

"कृषि उत्पादों तथा अधिसूचित पण्य वस्तुओं का सहकारी समितियों द्वारा उत्पादन, शोधन, विपणन, भाण्डागार, निर्यात और आयात करने के प्रोग्राम बनाना और उन्हें आगे बढ़ाना है।"

फिर निगम के यही कार्य बताये गये हैं। उनमें सहकारी आन्दोलन की वित्त व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकारों को ऋण देना, बीज के क्रय-विक्रय के प्रतिनिधि हैं। राष्ट्रीय सहकार विकास निगम में खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के प्रतिनिधि होंगे। अतः उचित सहयोग और उचित सम्पर्क बना रहेगा और कोई भी मतभेद नहीं रहेगा। कार्यों के विभाजन, पृथक बोर्डों के संगठन के कारण मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि जिस उद्देश्य से भाण्डा-गार निगम बनाया जा रहा है, वह आगे ही बढ़ेगा।

†**श्री विश्राम प्रसाद** : क्या सरकार वाणिज्यकों तथा व्यापारियों की अपेक्षा वास्तविक उत्पादकों में से माल जमा करने वालों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है ?

†**श्री अ० म० थामस** : अधिक भाण्डागार बनाने में कोई कठिनाई नहीं है। यदि कोई गांव चाहता है कि वहां भाण्डागार हो, तो हम गोदाम को किराये पर लेकर उसे भाण्डागार बना सकते है। परन्तु ऐसा करने के लिए ग्राहकों की संख्या काफी होनी चाहिये ताकि भाण्डागार को चलाने में हानि न हो। फिर, टेक्निकल कर्मचारी भी काफी चाहिये। हमने ६७७ व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया है। भाण्डागारों के प्रभारी अधिकारी समुचित प्रशिक्षित व्यक्ति होने चाहियें क्योंकि वैज्ञानिक भाण्डागारण बहुत महत्वपूर्ण है। केवल कुछ भाण्डागार बनाना ही पर्याप्त नहीं है।

जब कि माननीय सदस्य मुफस्सिल भागों में भाण्डागारों के निर्माण पर जोर देते हैं तो एक बात ध्यान में रखनी चाहिये। विपणन केन्द्रों के पास भाण्डागार बनाना अच्छा है। ताकि उत्पादक जब भी चाहे, बेचने के लिए अपना माल बाजार ले जाये। इस दृष्टि से दूर के क्षेत्रों में भाण्डागार बनाना उचित नहीं है यद्यपि राज्य भाण्डागार निगम मुफस्सिल क्षेत्रों में अधिकाधिक भाण्डागार बना रहा है।

निगम अपनी लागत कम करके भाण्डागारण किराया कम करने का प्रयास कर रहे हैं और इस प्रकार अधिक ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं। उन्होंने हाल में ही स्वयं क्षति-पूरण योजना लागू की है जिसके अन्तर्गत स्टाक के किसी विशिष्ट बीमा की आवश्यकता नहीं है और इस प्रकार उन्होंने बीमा-प्रीमियम की बचत कर ली है। निदेशक-बोर्ड के संगठन तथा अन्य बातों के बारे में कुछ संशोधन हैं जिनकी सूचना दी गई है। अब मुझे यह उत्तर दे देना चाहियें कि केन्द्रीय सरकार उक्त बोर्ड में छः व्यक्तियों को नाम निर्देशित करेगी। इस रूप में, यह निकाय प्राय सरकारी निकाय है। यद्यपि ४० प्रतिशत पूंजी का उल्लेख है, परन्तु केन्द्रीय सरकार इससे अधिक धन लगा रही है। इसका कारण यह है कि

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० म० थामस]

शेष अंशों को बिक्री के लिए रखने पर भी, वे अधिक नहीं खरीदे गये हैं क्योंकि गैर-सरकारी क्षेत्र में भाण्डागार चलाना कोई अधिक लाभदायिक व्यापार नहीं है। राज्य भाण्डागार निगमों के अंशों में आधे अंश में राज्य सरकार के और आधे अंश केन्द्रीय भा-भाण्डागार निगम के हैं।

अब सहकारी समितियों के केवल २५,००० अंश हैं और बोर्ड में एक प्रतिनिधि का होना, शायद उससे कहीं अधिक है जो पूंजी के अनुसार होना चाहिये।

वस्तुतः मेरे पास निदेशकों की सूची है जिसमें सभी रुचि रखने वालों के प्रतिनिधि हैं। नया बोर्ड बनाते समय माननीय सदस्यों के सभी सुझावों का ध्यान रखा जायेगा।

हां, कर्मचारियों का मेहंगाई भत्ता क्षेत्रानुसार भिन्न-भिन्न हैं। इसका मुख्य यह है कि कर्मचारी एक क्षेत्र से स्थानान्तरण होकर दूसरे इसके स्थान को जाना नहीं चाहेंगे। कर्मचारियों के बारे में जो अन्य बातें उठाई गई हैं, वे मंत्रालय के विचाराधीन हैं और मैं सभा को आश्वासन देता हूँ कि हम ऐसे मामलों में सहृदयता से काम लेते हैं। इसके अतिरिक्त मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि केन्द्रीय भाण्डागार निगम को चलाने में हम सदस्यों द्वारा उठाई गई सभी बातों का ध्यान रखेंगे और यथासंभव उपकारी कार्यवाही करेंगे।

†**उपाध्यक्ष महोदय**: प्रश्न यह है:

> "कि कृषि उत्पाद तथा कुछ अन्य वस्तुओं के भाण्डागार में रखने के प्रयोजन के लिए कुछ निगमों के निगमन तथा विनियमन और तत्संबंधी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय**: सभा अब विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी। खण्ड २ से ६ के कोई संशोधन नहीं है। अतः, में उन्हें एक साथ सभा के मत के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है:

> "क खण्ड २ से ६ विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २ से ६ विधेयक में जोड़ दिये गय।

खंड ७—(निदेशक)

†**श्री सरजू पांडेय**: मैं अपने संशोधन संख्या १, २, ३ और ४ प्रस्तुत करता हूं।

खण्ड ७(१)(ङ) में उल्लेख है कि एक निदेशक सहकारी समितियों द्वारा निर्वाचित किया जायेगा। इसमें मैंने इतना ही कहा है कि जहां पर एक आदमी लिखा गया है वहां पर दो आदमी कर दिये जायें। मैं समझता हूँ कि अगर इसके बारे में कोई एतराज न हो तो इसको माननीय मंत्री जी मान लें।

†मूल अंग्रेजी में

†श्री अ० म० थामस : जैसा कि मैंने कहा है कि सहकारी समितियों ने ३ प्रतिशत से भी कम अंश लिये हैं और मेरा ख्याल है कि निदेशक बोर्ड में मिला हुआ प्रतिनिधित्व बहुत काफी है। अतः मैं संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता ।

†उपाध्यक्ष महोदय : क्या वह अपने संशोधन को प्रस्तुत करने पर आग्रह करते हैं या वह उन्हें वापस लेते हैं ?

†श्री सरजू पांडेय : मैं उन्हें वापस लेना चाहता हूं ।

संशोधन संख्या १, २, ३ और ४ सभा की अनुमति से वापस लिये गये ।

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ७ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ७ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ८—(केन्द्रीय भांडागार निगम के निदेशक पद के लिये अर्हतायें)

†श्री सरजू पांडेय : श्रीमान, मैं अपना संशोधन संख्या ५ प्रस्तुत करना चाहता हूँ ।

मैं जानना चाहता हूं कि अगर इस को माननीय मंत्री जी मान लें तो क्या कोई हर्ज है ?

†श्री अ० म० थामस : मैं संशोधन स्वीकार नहीं करता हूं ।

†उपाध्यक्ष महोदय : क्या वह अपना संशोधन प्रस्तुत करने पर आग्रह करते हैं या उसे वापस लेते हैं ।

†श्री सरजू पांडेय : नहीं, श्रीमान् । मैं उसे वापस लेता हूं ।

संशोधन संख्या ५ सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ८ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ८ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ९ से ११ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड १२—(प्रशासी समिति)

उपाध्यक्ष महोदय : खंड १२ पर श्री सरजू पाण्डे का एक संशोधन है । क्या वह उसे प्रस्तुत करना चाहते हैं ।

श्री सरजू पांडेय : नहीं, श्रीमान् ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†उपाध्यक्ष महोदय : तब मैं खंड को सभा के मत के लिये रखूंगा।

प्रश्न यह है कि :

"कि खंड १२ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १२ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड १३—(निगम की बैठकें)

†**श्री सरजू पांडेय** : मैं अपने संशोधन संख्या ७ और ८ प्रस्तुत करता हूं।

इस में कहा गया है कि एक तिहाई शेअरहोल्डर्स के रिक्विजीशन पर मीटिंग बुलानी चाहिये। फिर इस में टाइम दिया गया है। मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि अगर इस टाइम को २१ दिन का न रख कर १५ दिन कर दिया जाये तो ज्यादा अच्छा होगा। दूसरे इस में तीन महीने के भीतर मीटिंग को बुलाने का प्रोविजन है। यह एक महीने का होना चाहिये।

†**श्री अ० म० थामस** : मैं संशोधन स्वीकार नहीं करता। वास्तव में, २१ दिन का समय सामान्य समय है जो अन्य अधिनियमों में भी निर्धारित है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या वह अपने संशोधन प्रस्तुत करने पर आग्रह करते हैं ?

†**श्री सरजू पांडेय** : नहीं, श्रीमान्, मैं उन्हें वापस लेना चाहता हूं।

संशोधन संख्या ७ और ८ सभा की अनुमति से वापस लिये गये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड १३ इस विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १३ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड १४ से ४० विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड ४१—(नियम बनाने का अधिकार)

†**उपाध्यक्ष महोदय** : खंड ४१ पर एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य उसे प्रस्तुत करना चाहते हैं ?

†**श्री सिद्धनजप्प** (हसन) : नहीं, श्रीमान्।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : तब मैं खंड को सभा के मत के लिये रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि खंड ४१ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ४१ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ४२ और ४३ तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गईं।

खंड १, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गयें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० म० थामस** : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

" कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

कामगर प्रतिकर (संशोधन) विधेयक

†**श्रम और रोजगार मन्त्रालय में श्रममन्त्री तथा योजना उपमन्त्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)**: उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कामगर प्रतिकर अधिनियम, १९२३ में अग्रतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

माननीय सदस्य जानते हैं कि कामगर प्रतिकर अधिनियम, १९२३ एक सर्व प्रथम विधान है जिस का प्रभाव सुरक्षा पर पड़ता है और जो वर्ष १९२४ में अधिनियम ग्रंथ में शामिल किया गया। अधिनियम में पहिले व्यावसायिक रोगों की सूची जोड़ने के लिये और दूसरे प्रतिकर की दर बदलने और लागू होने के लिये अधिकतम मजूरी सीमा बढ़ाने के लिये समय समय पर संशोधन होते रहे हैं। पिछली बार वर्ष १९५९ में इस में संशोधन किया गया ।

विधेयक प्रस्तुत करते समय प्रस्तुतकर्त्ता ने सोचा था कि इस का मुख्य उद्देश्य मुकदमेबाजी के लिये यथासंभव कम मौका छोड़ा जाये । फलस्वरूप विधेयक बड़ा ही, कड़ा बन गया । अधिनियम १ जुलाई, १९२४ को लागू हुआ । उस के बाद वर्ष १९२९, १९३३, १९५६ और १९४९ में संशोधन हुए ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के लागू होने से दुर्घटनाओं तथा व्यावसायिक रोगों के लिये प्रतिकर के भुगतान की जिम्मेदारी आंशिक रूप में मालिक से हट कर कर्मचारी राज्य बीमा निगम पर आ गई है। फिर भी, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के सीमित रूप में लागू होने की दृष्टि से कामगरों की बड़ी संख्या को कामगर प्रतिकर अधिनियम का ही सहारा लेना पड़ता है। अतः इस अधिनियम की कार्यान्विति का निरन्तर पुनरीक्षण करना और आवश्यकतानुसार परिवर्तन करना अवश्यक हो गया है ।

वर्तमान विधेयक द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह परिवर्तन करने का उद्देश्य है कि अस्थायी रूप में अपंग बने कामगरों को मिलने वाले प्रतिकर की दर बढ़ा दी जाय और मृत्यु तथा अस्थायी रूप से अपंग होने के मामलों में दर बढ़ा कर दुगनी कर दी जाये। वर्ष १९३३ में विद्यमान दरें निर्धारित की गयी थीं। तब से निर्वाह व्यय में वृद्धि होने के कारण यह परिवर्तन न्यायोचित है।

वर्तमान अधिनियम में प्रतिकर के अधीन आने वाली मजदूरी की सीमा ४०० रु० है। अब ४०० और ५०० रुपये के बीच जिनकी मजदूरी है उन पर प्रतिकर अधिनियम लागू करने का विचार है। भारतीय श्रम सम्मेलन ने अपने १७ वें सत्र में, जो वर्ष १९५९ में हुआ था, इस की सिफारिश की थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री चे० रा० पट्टाभिरामन]

अधिनियम की सूची ३ में इन व्यावसायिक रोगों का उल्लेख है जिन के लिये तिकर दिया जाता है और उन रोजगारों का उल्लेख है जिन में रोग उत्पन्न होने की संभावना है। यह सूची प्रायः वैसी ही है जो व्यावसायिक रोगों के लिये कामगर प्रतिकर संबंधी अभिसमय संख्या ४२ में जोड़ी गई थी। यह अभिसमय अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ने वर्ष १६३४ में स्वीकार किया था। परन्तु हमारे अधिनियम की अनुसूची में रोजगारों का वर्णन अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमय में उल्लिखित व्यवसायों, उद्योगों या कार्यों से मेल नहीं खाता है। अनुसूची में प्रस्तावित विवरण से भारत सरकार को अभिसमय संबंधी हमारी दलीय समिति द्वारा सिफारिश किये गये और भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा अनुमोदित रूप में अभिसमय का अनुमोदन करने में सहायता मिलेगी।

मैं विधेयक से होने वाले सारे छोटे व प्रासंगिक परिवर्तनों का उल्लेख करना नहीं चाहता। अधिनियम की पहली सूची में उल्लिखित रोजगार में लगी ऐसी चोटें जिन से व्यक्ति कमाने के लिये सर्वथा बेकार हो जाता है, भविष्य में स्थायी अपंग बनाने वाली चोटें समझी जायेंगी। आपको याद है कि वहां इस की परिभाषा है। द्वितीय, यह भी विचार है कि व्यावसायिक रोगों के बारे में प्रतिकर का दाव करने की समय सीमा और शर्तें ढ़ीली बनाई जानी चाहिये।

अन्त में, विधेयक का विचार केवल कारखाने में काम करने वाले कामगरों पर ही लागू होना नहीं है अपितु उन व्यक्तियों पर भी लागू होना है जो बाहर या काम के सामान्य स्थान के बाहर संबंधित मालिक या व्यापार के काम में लगे हों।

निस्संदेह प्रतिकर की दरों में प्रस्तावित परिवर्तन से गैरसरकारी तथा सरकारी दोनों क्षत्रों में मालिकों पर अतिरिक्त भार आ जायेगा। परन्तु माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि उत्पादन में वृद्धि और विद्यमान औद्योगिक संयंत्रों तथा मशीनों के अधिक प्रयोग से, जो आशिंक रूप में वर्तमान संकट के कारण हुआ है, मजदूरों को यह आश्वासन मिलना चाहिये कि उन्हें सेवा काल में घायल होने रोगी बनने की दिशा में पर्याप्त प्रतिकर मिलेगा।

मैं सभा से विधेयक पर विचार करने की सिफारिश करता हूं।

मेरा एक सरकारी संशोधन है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इसे आप बाद में ले सकते हैं।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : मेरा विचार था कि इस की व्याख्या कर दूं। यह आनुषंगिक बात है। खंड ११ का संबंध तीसरी अनुसूची है। यदि माननीय सदस्य पृष्ठ ५ को देखें, तो तीसरी लाइन के बाद मुख्य अधिनियम की अनुसूची ३ के भाग 'ख' का उल्लेख है। सीसा से विषक्त होना, ये सारी बात उस में हैं। प्रविष्ठि संख्या २ फास्फोरस उस के किसीं उत्पाद से विषाक्त होने के बारे में है। हमारे अध्ययन के परिणामस्वरूप, हम देखते हैं कि रोग छः मास से कम समय में भी हो सकता है। इस रूप में यह मद अनुसूची के भाग 'ख' में रखी गई है। इस का अर्थ है कि अनुसूचित समय लगभग ६ मास है जिस से व्यक्ति को, इस विषपण के कारण अपंग होने पर, प्रतिकर मांगने का अधिकार मिल जाता है। अब, हमारा विचार अनुसूची के भाग 'क' में 'आंगिक फास्फोरिक कीटनाशी' शब्द रखने का है। अतः हम इस बारे में एक संशोधन रख रहे हैं। यदि माननीय सदस्य विधेयक के पृष्ठ ६ को देखें तो उन्हें ज्ञात होगा कि पृष्ठ पहली ही लाइन में 'आंगिक फास्फोरस कीटनाशी' शब्द है। अब इन को दूसरी अनुसूची में रखने का विचार है ताकि संबंधित व्यक्तियों को तत्काल लाभ मिले क्योंकि हम देखते हैं कि इस अध्ययन के परिणामस्वरूप कि रोग छः मास समाप्त होने से पहिले भी सकता। मैं जो संशोधन रखूंगा, उस का यही महत्व है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कामगर प्रतिकर अधिनियम, १९२३ में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

इस विधेयक के लिए समय निर्धारित नहीं किया गया है । कुल पांच या छः सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं । अतः क्या हम इस के लिये दो घंटे रखें ।

कुछ माननीय सदस्य : हां ।

† **वारियर** (त्रिचूर) : मैं इस सशोधनकारी विधेयक का स्वागत करता हूं । मूल अधिनियम में लगभग १९ संशोधन हुए हैं । इस समय तक हमें मल अधिनियम तथा उस के सशोधनों के लागू होने का पर्याप्त अनुभव हो गया है । अब समय आ गया है कि इस सारे अनुभव को एकत्रित कर दिया जाये और मूल अधिनियम के मूल लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को लागू करने के लिये उस .. क्षेत्राधिकार बढ़ा दिया जाये । इस का कारण यह है कि वर्ष १९२३ के बाद स्वयं व्यापार में बड़ा परिवर्तन हो गया है । अब दुर्घटनाओं की संख्या भी अधिक है, जबकि यह हो सकता है कि प्रतिशत से ऐसा ज्ञात न हो । इस दृष्टि से यह अत्यावश्यक है कि अधिकाधिक ऐसे व्यापारों पर यह अधिनियम लागू हो ताकि वे भी प्रतिकर का लाभ उठा सकें । अतः पुरानी अनुसूची में वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन होने चाहियें ।

प्रतिकर की दर सम्बन्धी अनुसूची विधेयक में दी है । माननीय मंत्री जी कहते हैं कि हम सीमा को बढ़ा कर दुगना कर रहे हैं । परन्तु यदि इस औसत की तुलना मजूरी कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु या स्थायी रूप से अपंग होने से होने वाली हानि से की जाये तो वह बहुत कम है । अतः अल्प आय वर्ग के लिए प्रतिकर काफी अधिक होना चाहिये ताकि परिवार उस पर निर्भर रह कर सचाई का जीवन व्यतीत कर सके ।

छोटे और पिछड़ें मालिकों के बारे में पर्याप्त अपवंचन होता है । यह बात विशेष कर असंगठित उद्योगों में होती है । हमारे देश में संगठित उद्योगों की अपेक्षा असंगठित उद्योग अधिक हैं और उन में लाखों लोग लगे हैं । मैं अपने प्रदेश में नारियल जटा उद्योगों के कामगरों का उदाहरण दे सकता हूं । साथ ही साथ, अन्य लोग उसी उद्योग में १०० या २०० व्यक्ति रखते हैं । और इस बात से लाभ उठाते हैं कि अधिनियम उस उद्योग पर लागू नहीं होता । काजू उद्योग भी असंगठित है परन्तु साथ ही यह उद्योग केरल में एकाधिकार उद्योग होता जा रहा है । उस में केवल जवान लड़कियां रखी जाती है, क्योंकि छिलाई कोमलता से होनी चाहिये, और यह काम लड़कियों को दिया जाता है । यद्यपि उद्योग असंगठित है, फिर भी हानि बहुत है और इस में व्यावसायिक रोग शामिल है । लड़कियों के हाथ तेजाबी पदार्थ से प्रभावित होते हैं और ये मजदूर सफेद कोढ़ी के भान्ति हो जाती हैं । इस के लिए प्रतिकर अवश्य मिलना चाहिये और मजदूरों को कुछ संरक्षण अवश्य दिया जाना चाहिये । इस के अतिरिक्त, एक कठिनाई यह है कि कुछ मालिक नियमानुसार प्रतिकर देने को तैयार नहीं होते । वे अच्छे अच्छे वकील रख सकते हैं ताकि अधिनियम में कहीं कोई कमी निकाल सकें, जबकि मजदूर वकील नहीं रख सकते । परिणामस्वरूप, उन्हें मालिकों की उदारता पर निर्भर रहना पड़ता है । श्रम मंत्रालय को इन पर यथाशीघ्र ध्यान देना चाहिये और उचित संशोधन विधेयक रूप में प्रस्तुत करने चाहियें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वारियर]

उपसमिति के छ: निष्कर्ष है जिन में से केवल एक को कार्यान्वित किया जा रहा है कि प्रतिकर का आधार ४०० रु० से बढ़ा कर ५०० रु० किया जा रहा है । यह अच्छी बात है ।

इस सिलसिले में पेंशन योजना कई प्रकार से कठिन है क्योंकि संगठित उद्योगों में यह सरल हो सकती है, जैसे कपड़ा उद्योग में कर्मचारी का अंशदान एक फैक्टरी से दूसरी में बदला जा सकता है किन्तु बहुतेरे उद्योगों में कर्मचारी अपना भविष्य बेहतर करने के लिये मालिक बदलते रहते है, उन के मामले में यह कठिन होता है । अतः श्रम मंत्रालय को शीघ्र ही इस मांग पर विचार करना चाहिये । उपसमिति द्वारा उल्लिखित अन्य भागों की ओर भी ध्यान देना चाहिये । माननीय मंत्री ने १९३४ अभिसमय में दी गई कुछ सिफारिशों को भी कार्यान्वित करने का सुझाव दिया है । उस के पश्चात् भी कई सम्मेलन हो चुके हैं और हम उन सिफारिशों की कार्यान्विति के सम्बन्ध में पीछे रह गये है । हमारे उद्योगों की वृद्धि तथा कर्मचारियों में सामाजिक सुरक्षा की भावना लाने के लिये उचित वातावरण बनाने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ की सिफारिशों का अनुमोदन आवश्यक है । श्रम मंत्रालय को इन के संबंध में जागरूक रहना चाहिये । मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : मैं समझता हूं कि श्रम मंत्रालय जनमत के प्रति बड़ा जागरूक और कर्मचारियों के अधिकारों के प्रति बड़ा सतर्क रहा है और अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में स्वीकृत उपबन्धों को भी अधिनियमित करने का ध्यान रखता रहा है ।

सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी अध्ययन दल की नियुक्ति तथा उन निर्णयों की कार्यान्विति एवं यह विधेयक श्रम विधान में एक कदम आगे रखना है ।

श्री वारियर ने संगठित एवं असंगठित उद्योगों का उल्लेख किया है, जिस की ओर ध्यान देने की जरूरत है । असंगठित उद्योगों में कर्मचारियों को वे लाभ नहीं मिलते जो संगठित उद्योगों के कर्मचारियों को मिलते है । उन असंगठित उद्योगों की जांच के लिये एक समिति बनाई जाये ताकि उन में ही प्रगतिशील श्रम विधान लागू किया जाये ।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में वजरी उद्योग के कर्मचारियों का समुचित ध्यान नहीं रखा जाता, जिन में हजारों कर्मचारी हैं । वह उद्योग बड़ा लाभ कमाता है, अतः उस असंगठित उद्योग की जांच सरकार को करनी चाहिये । बीड़ी उद्योग की भी यही स्थिति है । उस में व्यवसायगत बीमारियां हो जाती है जो कई बार घातक सिद्ध होती हैं । अतः सरकार को उसे अनियंत्रित नहीं रहने देना चाहिये ।

प्रतिकर को दुगुना करने का मैं स्वागत करता हूं । किन्तु सब के लिये समान स्तर रखना ठीक नहीं । ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि निर्धन व्यक्तियों को अधिक मिले और कम निर्धन को उस से कम । कुल राशि वही रहनी चाहिये । यह बात समाजवादी ढंग के समाज के सर्वथा अनुकूल होगी । उच्च आय वर्ग के लोगों को कम राशि मिलनी चाहिये । उन लोगों को चाहे दुगना प्रतिकर मिले, किन्तु निर्धन लोगों को केवल दुगना ही नहीं, अधिक मिलना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

व्यवसायगत बीमारियों की सूची में बहुत सी देश में प्रचलित बीमारियां शामिल नहीं की गई है। अतः उन सब बीमारियों की पूर्ण सूची तैयार की जानी चाहिये जो कर्मचारियों को हो जाती है।

इस के बाद विधेयक की कार्यान्विति का प्रश्न आता है। मद्रास में कर्मकार प्रतिकर अधिनियम की कार्यान्विति सम्बन्धी रिपोर्ट बड़ी असंतोषजनक चित्र उपस्थित करती है। ६०७८ फैक्टरियों में से केवल ६००० ने अपने विवरण भेजे। वर्ष के अन्त में प्रतिकर के अनेक मामले लंबित पड़े मिले हालांकि वे लोग दुर्घटनाओं में मर गये थे। कितनी ही अभियाचिकाएं लंबित पड़ी रहीं और ५३७ में से १२६ का प्रतिकर दिया गया। अत्यधिक विलम्ब ऐसे मामलों में बड़ा हानिकारक होता है। हमारी नौकरशाही विलम्ब के लिये प्रसिद्ध है। मैं समझता हूं कि प्रतिकर आयुक्त को कहा जाये कि वह इन मामलों का निपटारा शीघ्रता से किया करे। दुर्घटनाओं में न मरे लोगों को भी प्रतिकर देने में बड़ा विलम्ब लगा--यह बड़ी चिन्ताजनक स्थिति है। श्रम मंत्रालय को चाहिये कि वह इन अधिनियमों की कार्यान्विति की जांच करे तथा उस ओर ध्यान दे ताकि उन की कार्यान्विति शीघ्र हो।

धन हस्तांतरण सम्बन्धी मामलों की जांच भी लम्बित पड़ी रही। यह तो स्थिति प्रगतिशील मद्रास की है जहां से योजना उपमंत्री संबंध रखते हैं। अन्य राज्यों में भी ऐसा ही बुरी स्थिति है।

केवल विधेयक बनाना पर्याप्त नहीं है। उस की कार्यान्विति अधिक महत्वपूर्ण है। मैं प्रगतिशील विधान के कारण इस का स्वागत करता हूं। अतः श्रम मंत्रालय को प्रयत्न करना चाहिये कि वह इन सिफारिशों की शीघ्र कार्यान्विति करवाने के लिये पूरा ध्यान दें।

श्री बूटा सिंह (मोगा) : आनरेबिल डिप्टी स्पीकर साहब, जबकि सारा राष्ट्र अपनी सीक्योरिटी और आजादी को बचाने में लगा हुआ है, मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे मान्यवर लेबर मिनिस्टर साहब ने वर्क मैन्स कम्पेन्सेशन एक्ट में तरमीमी बिल पेश किया है। यह एक अच्छा कदम उठाया गया है जिसके वास्ते मैं सरकार की सराहना करता हूं।

जो देश का मजदूर है वह किसी तरह से भी एक सिपाही से कम नहीं है। जैसे कि आज हम अपने सिपाहियों के हौसले बढ़ाने के लिये और उन को जोश देने के लिये उन की बहतरी का खयाल करते हैं, ऐसे ही मैं समझता हूं कि लोहे और कोयले की खानों में काम करने वाले, खेत में काम करने वाले, फैक्टरियों में काम करने वाले मजदूरों की सोशल सीक्योरिटी की तरफ ध्यान देना चाहिये।

जैसा कि मिनिस्टर साहब ने बताया, यह जो वर्कमैन्स कम्पेन्सेशन ऐक्ट है, यह हिन्दुस्तान के सब से पुरातन ऐक्टों में से एक है। आज से तकरीबन चालीस साल पहले इस का आग़ाज़ हुआ। उस के बाद, जैसा मंत्री महोदय ने बताया, इस में यह कोई छठी बार तरमीम की जा रही है। अच्छा होता कि इस को अमेंड करने के लिए सरकार एक कम्प्रीहेंसिव बिल हाउस के सामने पेश करती। यह ऐक्ट आज से ४० बरस पहले बनाया गया था जबकि हमारा देश एक और हालत में था, जो हालत आज है उस वक्त वह हालत नहीं थी। उस समय से ले कर आज तक बहुत से परिवर्तन हुए है। बल्कि देश का जो पुराना प्रबन्ध था वह सारे का सारा बदल गया है। इसी तरह से चाहिये था कि उस के साथ ही साथ देश के मजदूरों की हालत को सुधारने के लिये सरकार इस कानून को नये सिरे से एक कम्प्रीहेंसिव बिल की शक्ल में इस हाउस के सामने पेश करती।

बहरहाल, जो यह वर्कमैंस कम्पेन्सेशन अमेंडमेंट बिल हमारे सामने है, उसमें देखा जाय तो पता चलेगा, जैसा कि मेरे बुजुर्ग श्री दीवान चन्द जी शर्मा ने कहा है, कि जो कम आमदनी वाले

[श्री बूटा सिंह]

मज़दूर हैं उनको ज्यादा ग्रामदनी वाले मज़दूरों के बराबर रख कर उनके कम्पेन्सेशन को डबल किया गया है। मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार इसकी तरफ और ज्यादा ध्यान दे क्योंकि इस देश में चीजों की कीमतें जिस रफ्तार से बढ़ रही हैं, उस हालत में जो कम तनखाह लेने वाले मज़दूर हैं उनकी सोशल सीक्योरिटी का सरकार को उसी रफ्तार से ध्यान रखना चाहिए था।

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं ने पिछली कुछ बरसों की रिपोर्टें पढ़ी हैं। उनसे पता चलता है कि जो पेरेंट ऐक्ट पर अब तक कम्पेन्सेशन देने के मामले में अमल हुआ है उसमें फैक्टरियों, मिलों व और इदारों के मालिक उस जज्बे का सबूत नहीं देते जिसका कि उनको देना चाहिए। जब कोई मजदूर किसी एक्सीडेंट से या किसी बीमारी से नाकाबिल हो जाता है तो उसके परिवार को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, और हम देखते हैं कि हमारे देश में जैसे जैसे तेजी से चीजों की कीमतें बढ़ती जाती हैं, उसी तेजी से परिवार के सदस्यों की संख्या भी बढ़ती जाती है। इसलिए मैं चाहता था कि आज जो सरकार ने यह अमेंडमेंट पेश किया है इसमें पेमेंट आफ कम्पेन्सेशन के बारे में ज्यादा निगरानी से काम लिया जाता।

जैसा कि श्री के० के० वारियर ने कहा, हमारे देश में बहुत इंडस्ट्रीज़ अनआरगेनाइज्ड हैं जो कि इस ऐक्ट के नीचे नहीं आतीं। ऐसे अनआरगेनाइज्ड इदारों की तरफ सरकार को खास ध्यान देना चाहिए था।

मैं चाहता हूं कि सारे देश भर में फैक्टरियों में और इंडस्ट्रीज़ में जो एक्सीडेंट होते हैं उनके बारे में पता चलाने के लिए केन्द्रीय सरकार एक रिसर्च सेंटर कायम कर दे, जिसका यह काम हो कि वह हर प्रकार की इंडस्ट्री के बारे में जो एक्सीडेंट होते हैं उनकी लिस्ट बनाये और उनके बारे में जो मुआवजा दिया जाना है उसके बारे में अपना फैसला सरकार को दे। बड़े दुःख की बात है कि अभी तक सरकार ऐसी केन्द्रीय संस्था बनाने में सफल नहीं हुई है।

जहां तक रिटर्न्स का ताल्लुक है, जैसा कि अभी शर्मा जी ने बताया, पहले तो मिल वाले सही रिटर्न नहीं देते, उसके बाद राज्य सरकारें उनको केन्द्रीय सरकार के पास भेजने में बहुत देरी कर देती हैं और उसका नतीजा यह होता है कि जिस वरकर को कम्पेन्सेशन मिलना है या तो वह खत्म हो चुकता है या उसके पीछे कोई ऐसा नहीं रह जाता जो उस कम्पेन्सेशन को ले सके।

सब से अहम बात इस मामले में यह है कि कम्पेन्सेशन देने में जो इंडस्ट्रीज़ के या मिलों के मालिक हैं वे जो रवैया अख्तियार करते हैं वह बहुत ही निन्दनीय है। जैसा कि हमारे देखने में आया है, वरकर को अपना कम्पेन्सेशन लेने के वास्ते कचहरियों में जाना पड़ता है, ट्राइबुनल्स के सामने जाना पड़ता है, जिसके वास्ते न तो उनके पास अच्छे अच्छे एडवोकेटों को फीस देने के लिए पैसा होता है और न उनके पास इतना समय होता है कि अपनी जिन्दगी के जरिए को छोड़ कर मुकदमात के पीछे फिरें और कम्पेन्सेशन हासिल करें। मेरा सुझाव है कि ऐसे मामलों में मजदूरों को सरकार अपनी तरफ से लीगल ऐड दे। सरकार उनको ऐसी सुविधाएं दे जिससे कि वे कचहरी में जाकर अपना केस अच्छी तरह से लड़ सकें और अपना मुआविज़ा ले सकें।

एक बात मैं आप के जरिय मिनिस्टर महोदय के ध्यान में लाना चाहूंगा। जैसा कि शर्मा साहब ने बतलाया कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि काम करते वक्त मज़दूर को हो जाती हैं। जैसे कि आजकल मिकैनाइज्ड फ़ार्म्स चलते हैं, काश्तकारी के लिए अच्छे अच्छे तरीक़े देखे जाते हैं और फिर उन फ़सलों के ऊपर ऐसी ऐसी दवाइयां छिड़की जाती हैं जिनका कि सीधा असर उन छिड़कने वाले मज़दूरों के ऊपर पड़ता है। ऐसी इंसैक्टीसाइटिस हैं जिनका कि सीधा असर मज़दूर

की सेहत पर पड़ता है। ऐसी बीमारियों के लिए भी सरकार को चाहिए कि कानून में व्यवस्था करे . . . . .

श्री स० मो० बनर्जी : इस का उपबन्ध किया गया है।

श्री बूटा सिंह : सरकार ने इसे प्रोवाइड करके मैं मानता हूं कि बहुत अच्छा काम किया है और मैं उस की इस बात के लिए सराहना करता हूं। मैं समझता हूं कि ऐसे संकट काल में सरकार ने मज़दूरों की तरफ ध्यान देकर बहुत अच्छा काम किया है और मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

†**श्री आ० प्र० शर्मा** (बक्सर) : मैं इस संकट काल की अवस्था में भी कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक रखने के लिये श्रम मंत्री को धन्यवाद देता हूं।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

कुछ श्रेणियों के कर्मकारों के लिये प्रतिकर की राशि को दुगुना करने के लिये धन्यवाद। मैं समझता हूं कि श्रम मंत्रालय ने १९५८ में सामाजिक सुरक्षा योजना सम्बन्धी अध्ययन दल की सिफारिश के आधार पर जो फैसला प्रतिकर के बारे में किया है वह सही है।

मैंने रेलवे में काम किया है वहां गाड़ी के साथ चलने वाले लोगों में व्यवसायगत बीमारी 'उचित दृष्टि की हानि' हो जाती है। भरती के समय उन लोगों की दृष्टि की जांच तथा समय समय पर फ़िर जांच की जाती है और यदि वे कभी अनर्ह हो जाते हैं तो वे उस काम के लिये अनर्ह हो जाते हैं। सी ग्रेड के ड्राईवर को जिसे २००–३०० रुपये मिलते हैं, दृष्टि परीक्षा में फेल होने पर कोई प्रतिकर नहीं मिलता क्योंकि इसे व्यवसायगत बीमारी नहीं माना जाता। उसे वैकल्पिक काम पर अवश्य लगा दिया जाता है चाहे वह निम्नतम श्रेणी के कर्मकार का काम हो। अतः श्रम मंत्री को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि क्या इसे व्यवसायगत बीमारियों में शामिल किया जा सकता है।

मैं एक सुझाव दूंगा कि ५०० रुपये तक वेतन वाले लोगों को तो प्रतिकर का हक होता है परन्तु उसी वेतन क्रम वाले ५०० से अधिक आय पाने वालों को नहीं होता। अतः इस सीमा को बढ़ाकर ५७५ तक कर देना चाहिये ताकि वे लोग भी इस का लाभ उठा सकें।

मैं आई० एन० टी० यू० सी० की ओर से श्रम मंत्रालय का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कर्मकारों की हालत को सुधारने के लिये यह विधेयक इस संकटकाल में भी उपस्थित किया है।

†**श्री अ० ना० विद्यलंकार** (होशियारपुर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करते हुए कहूंगा कि सभी सामाजिक सुरक्षा उपायों को रखने वाला एक विशद विधान बनाने की आवश्यकता है। सभी सामाजिक सुरक्षा उपायों को कार्यान्वित करने के लिय एक ही अभिकरण होना चाहिये। भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा नियुक्त अध्ययन दल ने भी यह सिफारिश की थी, अतः सरकार को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये जिससे अधिकाधिक कर्मचारियों के सम्बन्ध में वह कार्यान्वित किया जा सके। श्री दी० चं० शर्मा की यह शिकायत सही है कि बहुत से कर्मकार इस विधान के अन्तर्गत नहीं आते। मुझे प्रसन्नता है कि अब प्रतिकर केवल फैक्टरी के अन्दर हुई दुर्घटनाओं में ही नहीं, बाहर भी देने का उपबंध किया जा रहा है। मुझे आशा है कि इस से सिंचाई के बहुत से कार्यकर्त्ताओं पर यह लागू हो जायगा। भाखड़ा के कर्मकारों के सम्बन्ध में बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो गई थी क्योंकि विधान में फैक्टरी से बाहर हुई दुर्घटना में प्रतिकर देने का पहले उपबंध नहीं था। अब मैं इस संशोधन का स्वागत करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० ना० विद्यालंकार]

अध्ययन दल ने भी सुझाव दिया है कि इकट्ठी राशि देने की बजाय सावधिक भुगतान होना चाहिये, क्योंकि एक बार भुगतान करके आप अपने आप को कर्तव्योन्मुक्त समझ बैठते हैं। परन्तु कार्यकर्त्ता की बेहतरी का ध्यान रखना समाज का कर्तव्य है। हमें उनके हितों का रक्षण करना है। स्थायी अस्थायी अक्षमता दोनों मामलों में सावधिक भुगतान होना जरूरी है। सरकार को इस राशि को भी बढ़ाने का विचार करना चाहिये क्योंकि यह अपर्याप्त है।

दुगना प्रतिकर स्वागतीय है किन्तु इसे बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि निर्वाह व्यय बहुत बढ़ चुके हैं। हमें मजूरी को निर्वहन व्यय के साथ जोड़ने का सदा प्रयत्न करना चाहिये, कम से कम प्रतिकर के मामले में तो अवश्य। क्रमेण वृद्धि स्तर की बात जो श्री दी० चं० शर्मा ने कही, वह तो है, किन्तु वह स्तर पर्याप्त नहीं है। कम आय वाले लोगों के मामले में अनुपात थोड़ा अधिक होना चाहिये। वेतन का तिहाई प्रतिकर के रूप में नाकाफी है, इसे कम आय के मामलों में बढ़ा देना चाहिये।

उत्पादन बोनस प्रतिकर के मामले में मजूरी में जोड़ना चाहिये। इस समय कर्मकारों को बहुत कम वेतन मिलता है, अतः इस की प्रतिशतता बढ़ानी जरूरी है।

अध्ययन दल ने ६६ प्रतिशत मजूरी को देने का सुझाव दिया था। किन्तु हम इस मामले में बहुत पीछे रह गये हैं।

व्यवसायगत बीमारियों की सूची विशद या व्यापक नहीं। वर्तमान युग में ऐसी सूची कठिन अवश्य है। अतः मैं सुझाव दूंगा कि सरकार को समय समय पर व्यवसायगत बीमारियों को इस सूची में जोड़ते जाना चाहिये। डाक्टरों द्वारा अनुसंधान का भी लाभ उठाना चाहिये, उदाहरणार्थ चीनी उद्योग में खोई का काम करने वाले कर्मचारियों को होने वाली बीमारी की जांच होनी चाहिये। सरकार को अधिक बीमारियों को सूची में मिलाने के लिये शक्ति ले लेनी चाहिये।

दावों की ओर उचित ध्यान नहीं दिया जाता, अतः कार्यान्विति तंत्र को मजबूत करना चाहिये। प्रक्रिया को सरल किया जाये और शीघ्र मरने वाले के आश्रित लोगों को प्रतिकर मिलना चाहिये।

हमें सुरक्षा उपाय लागू करने का भी प्रयत्न करना चाहिये। फैक्टरी अधिनियम में उपबंधित उपायों का समुचित पालन हो। इन के कार्यान्वित न किये जाने से दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। श्रम मंत्री को दुर्घटनाओं को कम करवाने का उपाय सुरक्षा उपायों, निवारक उपायों, निवारक शिक्षा आदि के द्वारा करना चाहिये। विषैली गैस, गर्द आदि से भी बचने की सुविधा की व्यवस्था की जाये।

अतः मैं इस उपयोगी विधेयक का स्वागत करता हूं।

श्री ह० च० सोय (सिंहभूम) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। इस में कई नये संशोधन लाये गये हैं और आक्यूपेशनल डिज़ीज़ के नाम पर कई और चीजें शामिल की गई हैं

जैसा कि और माननीय सदस्यों ने कहा है, उचित यह होता कि एक कम्प्रिहैंसिव जांच होती और दूसरी तरह की आक्यूपेशनल डिज़ीजिज़ को भी शामिल किया जाता। अभी माननीय सदस्य श्री शर्मा ने लोको ड्राइवर्ज़ की ओर इशारा किया है। इस ओर में भी सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मुझे खद ऐसे लोगों की बहुत बड़ी संख्या का पता है साउथ ईस्टर्न रेलवे में,

कि जो काम करने के लिए जाते हैं लेकिन जिन की कुछ दिनों के बाद ग्रांखें खराब हो जाती हैं। उसके बाद उनकी हालत यह होती है कि उन्हें कम्पेंसेशन तो नहीं लेकिन सब से छोटे दर्जे का काम दे दिया जाता है ।

हम को पूरा विश्वास है कि जिस हालत में वे काम करते हैं उससे उनकी ग्रांखें खराब हो जाती हैं । तो मैं चाहता हूं कि इसको भी इसमें शामिल किया जाये ।

दूसरी बात में यह कहना चाहता हूं कि जो मज़दूर सीमेंट के कारखानों में पैकिंग ग्रौर लोडिंग ग्रनलोडिंग का काम करते हैं उनको यह देखा गया है कि टी० बी० की बीमारी बहुत ज्यादा हो जाती है। इतना ही नहीं सीमेंट के लिए जो पत्थर निकाला जाता है ग्रौर उसमें जो मज़दूर काम करते हैं—वहां काम बुलडोजर्स के द्वारा होता है—उनको भयानक धूल के भीतर काम करना पड़ता है ।

ग्रध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य क्या इसको कल जारी रखना चाहते हैं ?

श्री ह० च० सोय : जी ।

इसके पश्चात् लोक सभा की बैठक शुक्रवार, ३० नवम्बर, १९६२/९ अग्रहायण, १८८४ (शक) के बारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

दैनिक संक्षेपिका

गुरुवार, २९ नवम्बर, १९६२

८ अग्रहायण, १८८४ (शक)

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र १६३१

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गये :—

(१) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद्, नई दिल्ली के नियमों तथा विनियमों, विधियों और उप-नियमों के नियम ७९ (४) के अन्तर्गत उक्त परिषद् के वर्ष १९६०–६१ के लेखे के वार्षिक विवरण की प्रति उस पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन के साथ ।

(२) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९-क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये अशोक होटल्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा-परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

राज्य सभा से सन्देश १६३२

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना दी :–

(१) कि राज्य सभा को लोक-सभा द्वारा २२ नवम्बर, १९६२ को पास किये गये भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक, १९६२ के बारे में लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

(२) कि राज्य सभा ने अपनी २७ नवम्बर, १९६२ की बैठक में हिन्दी साहित्य सम्मेलन (संशोधन) विधेयक, १९६२ को पास कर दिया है ।

राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक पटल पर रखा गया . . . १६३२

सचिव ने हिन्दी साहित्य सम्मेलन (संशोधन) विधेयक, १९६२, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, सभा पटल पर रखा ।

विधेयक पारित १६३२–३५

भांडागार निगम विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंडवार विचार के पश्चात् विधेयक पारित किया गया ।

विषय	पृष्ठ
विधेयक विचाराधीन	१६६५–'७५

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्) ने प्रस्ताव किया कि कामगर प्रतिकर (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाये । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

शुक्रवार, ३० नवम्बर, १९६२ / ९ अग्रहायण, १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि

कामगर प्रतिकर संशोधन विधेयक पर अग्रेतर विचार और उसका पारित किया जाना तथा (१) बहु एकक सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक (२) परिसीमन आयोग विधेयक पर विचार तथा उनका पारित किया जाना तथा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर विचार ।

GMGIPND—LS III—2415 Ai LS—10-1-63—140

खंड २ से ४३ और १ . . . १६६२–६५

पारित करने का प्रस्ताव

श्री अ० म० थामस . . १६५८–६२

कामगर प्रतिकर (संशोधन) विधेयक

विचार करने का प्रस्ताव १६६५–७५

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् . . . १६६५–६७

श्री वारियर १६६७–६८

श्री दी० चं० शर्मा . . १६६८–६९

श्री बूटा सिंह . . १६६९–७१

श्री आ० प्र० शर्मा . १६७१

श्री अ० ना० विद्यालंकार . . १६७१–७२

श्री ह० च० सोय १६७२–७३

दैनिक संक्षेपिका १६७४–७५

PLS. 41. X. 17. 62.
140

© १९६२ प्रतिलिप्याधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशि और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित।